मध्यांचल दर्पण

अंक –19

पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन

कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा

ए-विंग, द्वितीय तल, केन्द्रालय 63/4, संजय प्लेस, आगरा - 282002 दूरभाष : 0562-2523266

ई-मेल-jtcceagra@explosives.gov.in वेबसाइट-www.peso.gov.in

<u>गौरवशाली क्षण</u>

भारत सरकार
गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग)
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (के.का),
आयकर भवन, संजय प्लेस, आगरा– 282002

प्रशस्ति–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष/छमाही/तिमाही 2022-23 में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग एवं कार्यान्वयन में कार्या० संयुक्त मु० विस्फोटक नियंत्रक आगरा का कार्य आगरा नगर स्थित समस्त केन्द्र सरकार के कार्यालयों / निगमों / उपक्रमों में प्रथम स्थान पर रहा। बधाई!

विभाग/संगठन से अपेक्षा की जाती है कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उत्तरोत्तर प्रगति करता रहेगा।

दिनांक : 20.04.2023

प्रधान आयकर आयुक्त–1
अध्यक्ष
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति,
आगरा

वर्ष 2022 - 2023 में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग एवं कार्यान्वयन में कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मध्यांचल, आगरा को आगरा नगर स्थित केन्द्र सरकार के समस्त कार्यालयों में प्रथम घोषित किया गया ।

दिनांक 20.04.2023 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, आगरा की छमाही बैठक में प्रधान आयकर आयुक्त (प्रथम), आगरा, श्री सैयद नैयर अली नज़मी जी के कर कमलों से श्री विनोद कुमार मिश्रा, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, श्री अशोक कुमार, उप विस्फोटक नियंत्रक (राजभाषा अधिकारी) एवं श्रीमती श्रावणी गांगुली, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ने प्रथम पुरस्कार स्वरूप शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया ।

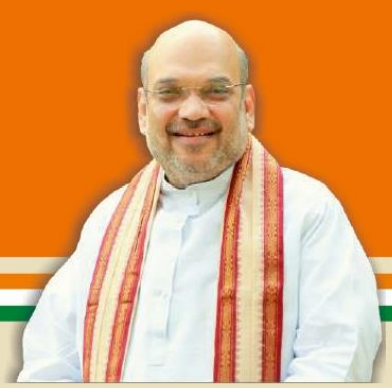

हिंदी दिवस 2023

के अवसर पर

माननीय गृह मंत्री जी

का संदेश

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

प्रिय देशवासियो!

आप सब को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

भारत भाषिक विविधता का देश रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषिक विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम **'हिंदी'** है। हिंदी भाषा अपनी प्रवृत्ति से ही इतनी जनतांत्रिक रही है कि इसने भारतीय भाषाओं और बोलियों के साथ–साथ कई वैश्विक भाषाओं को यथोचित सम्मान देते हुए उनकी शब्दावलियों, पदों, वाक्य विन्यासों और वैयाकरणिक नियमों को आत्मसात किया है।

हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता आन्दोलन के मुश्किल दिनों में देश को एकता के सूत्र में बाँधने का अभूतपूर्व कार्य किया। अनेक भाषाओं और बोलियों में बँटे देश में ऐक्य भावना से पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में संवाद भाषा हिंदी की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। इसीलिए, लोकमान्य तिलक हों, महात्मा गांधी हों, लाला लाजपत राय हों, नेताजी सुभाषचंद्र बोस हों, राजगोपालाचारी हों; हिंदी के शुरुआती पैरवीकारों में बहुसंख्यक उन प्रदेशों के लोग थे, जिनकी मातृभाषाएँ हिंदी नहीं थीं।

किसी भी देश की मौलिक सोच और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सही मायनों में सिर्फ उस देश की अपनी भाषा में ही की जा सकती है। प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने लिखा है कि, **"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति कौ मूल।"** यानि कि, अपनी भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नति का मूल है। राष्ट्र की पहचान इस बात से भी होती है कि उसने अपनी भाषा को किस सीमा तक मजबूत, व्यापक एवं समृद्ध बनाया है। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 द्वारा संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और लिपि के रूप में देवनागरी को अपनाया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय से वैश्विक मंचों तक यथोचित सम्मान मिला है। हमारी सभी भारतीय भाषाएँ और बोलियाँ हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं।

अपनी भाषा में सुनी हुई अवांछनीय बातें भी बहुत बुरी नहीं लगती। कवि **विद्यापति** की शब्दावली में कहूँ तो **'देसिल बयना सब जन मिट्ठा'** यानि देशी भाषा सभी जनों को मीठी लगती है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयत्नशील है कि शहद सामान मीठी भारतीय भाषाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से अत्याधुनिक और वैज्ञानिक प्रयोग के अनुकूल उपयोगी बनाया जा सके।

सरकार और जनता के बीच भारतीय भाषाओं में संवाद स्थापित कर जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तौर पर लागू किया जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जन–जन तक उनकी ही भाषा में उनके हित की बात पहुँचाकर आदर्श लोकतंत्र के निर्माण का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। राजभाषा विभाग ने इसी उद्देश्य से राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सहज बनाने की दिशा में काम करते हुए स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली **'कंठस्थ'** का निर्माण और विकास किया है। फिजी में संपन्न 'विश्व हिंदी सम्मेलन' में **'न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन'** के साथ इसके नए वर्जन (कंठस्थ 2.0) के मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण भी किया गया है।

राजभाषा विभाग की एक नई पहल **'हिंदी शब्द सिंधु'** शब्दकोश का निर्माण है। इस शब्दकोश में संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिसूचित भारतीय भाषाओं के शब्दों को शामिल कर इसे निरंतर समृद्ध किया जा रहा है। साथ ही, विभाग ने **'लीला हिंदी प्रवाह'** मोबाइल ऐप भी तैयार किया है, जिसे अपनाकर विभिन्न भाषा–भाषी 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से अपनी–अपनी मातृभाषाओं से स्तरीय हिंदी निःशुल्क सीख सकते हैं।

भाषा परिवर्तन का सिद्धांत यह कहता है कि भाषा जटिलता से सरलता की ओर जाती है। मेरे विचार से हिंदी के सरल और सुस्पष्ट शब्दों को कार्यालयी कामकाज में प्रयोग में लाना चाहिए। टिप्पणी, पत्राचार, ई–मेल, विज्ञप्ति आदि के लिए आम बोलचाल के शब्दों व वाक्यों के प्रयोग से हिंदी के प्रयोग का चलन बढ़ेगा।

हमारे लिए हिंदी का प्रश्न सिर्फ एक भाषा का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान व सांस्कृतिक गौरव का विषय है। मुझे विश्वास है कि राजभाषा विभाग के उपरोक्त प्रयासों से सभी मातृभाषाओं को आत्मसात करते हुए लोकसम्मत भाषा हिंदी विज्ञानसम्मत व तकनीकसम्मत होकर संपन्न राजभाषा के रूप में स्थापित होगी।

पुनश्च, आप सब को हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं।

नई दिल्ली,
14 सितंबर, 2023

(अमित शाह)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

G20 भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

कार्यालयाध्यक्ष की कलम से

कार्यालय की गृह पत्रिका का नवीनतम अंक आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हर्षित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ ।

अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों के साथ ही राजभाषा हिंदी के विकास के लिए एवं मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए गृह पत्र-पत्रिकाएँ एक सशक्त मंच प्रदान करती हैं । भाषा, केवल विचारों की अभिव्यक्ति का ही नहीं अपितु हमारी संस्कृति के मूल तत्वों की अभिव्यक्ति का भी माध्यम है । जिस देश का प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा में सोचे, लिखे और संवाद करे, समस्त संसार उस देश को सम्मान की दृष्टि से देखता है । विश्व पटल पर अपना परचम लहराने वाली हिंदी भाषा ने भारत को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मंचों से हमको गौरवान्वित किया है। हम सभी का यह कर्तव्य ही नहीं दायित्व भी है कि संविधान में और राजभाषा नीति में हमसे जो अपेक्षा की गई है, उसको पूरा करने के लिए अपना शत प्रतिशत योगदान दें ।

मेरा सौभाग्य है कि मुझे पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन के आगरा कार्यालय के प्रमुख के रूप में इस कार्यालय में हो रहे राजभाषा हिंदी से जुड़े कार्यों को गति प्रदान करने का अवसर मिला है । पत्रिकाओं का प्रकाशन भी राजभाषा के विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम एवं कार्यालय के कर्मियों के रचनात्मक कौशल को उजागर करने का एक सशक्त मंच है ।

वर्तमान पत्रिका में व्यक्तिगत रचनाओं, विभागीय तकनीकी लेख, यात्रा संस्मरण जैसे विभिन्न लेखों के साथ ही माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों से सम्बन्धी दिशानिदेशों को भी सम्मिलित किया गया है । मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से जुड़े प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी के लिए यह सामग्री बहुत उपयोगी सिद्ध होगी एवं कार्यालयों में हो रहे राजभाषा कार्यों की प्रगति एवं संवर्धन में सहायक होगी ।

मैं, इस पत्रिका के सफल प्रकाशन में योगदान देने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ । इस पत्रिका में अपनी रचनाओं के माध्यम से योगदान देने वाले रचनाकारों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ । आशा करता हूँ कि आप सभी के सहयोग से पत्रिका के प्रकाशन की इस अनवरत यात्रा को हम निरन्तर कायम रखने में कामयाब होंगे ।

पत्रिका प्रकाशन समिति के सभी सदस्यों को भी मैं उनके प्रयासों के लिए साधुवाद देता हूँ ।

शुभकामनाओं सहित -

विनोद कुमार मिश्रा
संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
एवं कार्यालयाध्यक्ष
कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक,
मध्यांचल, आगरा

पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) के मध्य अंचल की गृह पत्रिका 'मध्यांचल दर्पण' का 19वां अंक आप सब तक पहुँचाते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है । पेसो का आगरा कार्यालय राजभाषा हिंदी के संवर्धन की दिशा में सतत् प्रयासरत रहा है एवं कार्यालय द्वारा केन्द्र सरकार व राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों व दिशानिदेशों का सदैव पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है । यह कार्यालय उत्तर भारत में स्थित होने एवं कार्यालय के अधिकांश अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मातृभाषा हिंदी होने के कारण राजभाषा हिंदी के विकास एवं कार्यान्वयन के प्रति सबका उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है और यहाँ पदस्थ कर्मियों द्वारा अपने इस उत्तरदायित्व का बखूबी निर्वहन भी किया जाता है ।

पत्र - पत्रिकाओं का प्रकाशन विचारों की अभिव्यक्ति को एक मंच प्रदान करती हैं एवं रचनात्मकता को शब्दबद्ध करने का अवसर देती हैं । पत्रिकाओं के लिए लेख लिखना वैचारिक स्तर को भी समृद्ध करता है एवं सकारात्मकता को बढ़ाता है । गृह पत्रिका के इस अंक में कहानियों या संकलनों की अपेक्षा स्वानुभवों, स्वरचित कविताओं, संगठन **से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी प्रदान करते हुए लेख के साथ ही संसदीय राजभाषा निरीक्षण सम्बन्धी बहुपयोगी जानकारी को भी शामिल किया गया है ।**

मध्यांचल, आगरा एवं अधीनस्थ उपांचल प्रयागराज एवं देहरादून कार्यालयों की राजभाषीयी एवं अन्य गतिविधियों का सचित्र विवरण आप सभी को पेसो के मध्य अंचल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों से अवगत कराएगा । पत्रिका में प्रकाशित बहुआयामी सामग्री के माध्यम से इसे रुचिकर एवं उपादेय बनाने का प्रयास किया गया है ।

मैं, पत्रिका प्रकाशन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में दिए गए सहयोग के लिए सभी का आभार प्रकट करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि पत्रिका के आगामी अंकों के लिए भी इसी तरह सभी का योगदान निरंतर मिलता रहेगा ।

(अशोक कुमार)
उप विस्फोटक नियंत्रक एवं
राजभाषा अधिकारी
कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
मध्यांचल, आगरा

कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति
वर्ष : 2023 - 2024

1.	श्री विनोद कुमार मिश्रा, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक	अध्यक्ष
2.	श्री अशोक कुमार मेहता, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक	सदस्य
3.	डा० दशरथ लक्ष्मण काम्बले, विस्फोटक नियंत्रक	सदस्य
4.	श्री नितिन गोयल, उप विस्फोटक नियंत्रक	सदस्य
5.	श्री अशोक कुमार, उप विस्फोटक नियंत्रक	राजभाषा अधिकारी
6.	श्री विजय पाल सिंह, कार्यालय अधीक्षक	सदस्य
7.	श्री प्रदीप कुमार पाल, कार्यालय अधीक्षक	सदस्य
8.	श्री ए.जी.काम्बले, आशुलिपिक ग्रेड - I	सदस्य
9.	श्रीमती श्रावणी गांगुली, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	समन्वयक
10.	श्री राकेश कुमार वर्मा, आशुलिपिक - II	सदस्य
11.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा, उच्च श्रेणी लिपिक	सदस्य
12.	श्री मदन मोहन गुप्ता, उच्च श्रेणी लिपिक	सदस्य

पत्रिका प्रकाशन समिति

संरक्षक

श्री विनोद कुमार मिश्रा
संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
(कार्यालयाध्यक्ष)

सम्पादक
श्री अशोक कुमार
उप विस्फोटक नियंत्रक
(राजभाषा अधिकारी)

सह-सम्पादिका
श्रीमती श्रावणी गांगुली
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक

कार्यकारी सम्पादक
श्री प्रमोद कुमार शर्मा
उच्च श्रेणी लिपिक

सम्पर्क सूत्र

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन
कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक
ए-विंग, द्वितीय तल, केन्द्रालय
63/4, संजय प्लेस, आगरा - 282002 (उत्तर प्रदेश)
दूरभाष - 0562 : 2523266
ई-मेल - jtcceagra@explosives.gov.in वेबसाइट - http://peso.gov.in

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	लेख / रचना	रचनाकार	पृष्ठ सं०
1.	सरस्वती वन्दना		11
2.	विस्फोटक नियम 2008 (लेख)	डा० दशरथ लक्ष्मण काम्बले, विस्फोटक नियंत्रक, आगरा	12
3.	यादें (कविता)	श्री विनोद कुमार मिश्रा, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा	14
4.	झीलों का शहर उदयपुर (यात्रा संस्मरण)	श्रीमती श्रावणी गांगुली, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, आगरा	14
5.	पंचतंत्र (कविता)	श्री धर्मवीर सिंह, उप विस्फोटक नियंत्रक, प्रयागराज	17
6.	माननीय संसदीय राजभाषा समिति - जानकारी एवं निरीक्षण सम्बन्धी दिशा निदेश	श्रीमती श्रावणी गांगुली, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, आगरा	18
7.	अपनी मानसिक शांति के लिए छोड़ दें	श्री प्रमोद कुमार शर्मा, उच्च श्रेणी लिपिक, आगरा	32
8.	अंतरकार्यालयीन निबंध प्रतियोगिता - प्रथम	श्रीमती श्रावणी गांगुली, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, आगरा	32
9.	दीवार घड़ी (कविता)	सुश्री सुप्रिया गांगुली, पुत्री श्रीमती श्रावणी गांगुली, अनुवादक, आगरा	35
10.	अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष	डा० दशरथ लक्ष्मण काम्बले, विस्फोटक नियंत्रक, आगरा	36
11.	अंतरकार्यालयीन निबंध प्रतियोगिता - द्वितीय	श्री भगत सिंह मीना, उच्च श्रेणी लिपिक, कार्यालय सहायक अभियन्ता केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, मथुरा	36
12.	पेसो, आगरा में हिंदी पखवाड़ा आयोजन		37
13.	अंतरकार्यालयीन निबंध प्रतियोगिता - तृतीय	श्री प्रमोद कुमार शर्मा, उच्च श्रेणी लिपिक, आगरा	39
14.	मध्य अंचल आगरा एवं अधीनस्थ उपांचल कार्यालयों में हुए आयोजनों का सचित्र विवरण		40
15.	अंतरकार्यालयीन निबंध प्रतियोगिता - सांत्वना	डा० सुरेन्द्र प्रताप यादव, उप विस्फोटक नियंत्रक, देहरादून	42
16.	"कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम" सप्ताह के आयोजन संबंधी रिपोर्ट एवं सचित्र विवरण		43
17.	मध्य अंचल, आगरा एवं अधीनस्थ उपांचल कार्यालयों की विविध गतिविधियों का विवरण		
		कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा	44
		कार्यालय उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, प्रयागराज	46
		कार्यालय उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, देहरादून	47
18.	पेसो, आगरा में हुई सेवानिवृत्तियां		49
19.	मध्य अंचल एवं अधीनस्थ उपांचल प्रयागराज एवं देहरादून कार्यालय में हुए स्थानांतरण		50

पत्रिका में प्रकाशित लेखों / रचनाओं में अभिव्यक्त विचार रचनाकार के निजी विचार हैं। सम्पादक मण्डल का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है ।

सरस्वती वन्दना

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता ।

या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ।।

या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवै: सदा वन्दिता ।

सा मां पातु सरस्वती भगवती नि:शेषजाड्यापहा ।। 1 ।।

शुक्लाम् ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीम् ।

वीणा-पुस्तक-धारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् ।।

हस्ते स्फाटिकमालिकाम् च दधतीं पद्मासने संस्थिताम् ।

वन्दे ताम् परमेश्वरीं भगवतीम् बुद्धिप्रदाम् शारदाम् ।। 2 ।।

विस्फोटक नियम 2008

डा. डी.एल.काम्बले
विस्फोटक नियंत्रक, आगरा

भूमिका - विस्फोटकों के आविष्कार की कहानी

विस्फोटक एक रासायनिक पदार्थ है । यह पदार्थ आग लगने पर या impact होने पर या friction होने पर बड़े धमाके करते हैं । धमाके के साथ बहुत अल्प समय में उच्च प्रकाश, ताप या गर्मी एवं तीव्र ध्वनि (high sound) और दबाव उत्पन्न करते हैं । इस प्रक्रिया को (explosion) या स्फोटक / विस्फोट कहते हैं । विस्फोटक दो प्रकार के होते हैं -

1- **<u>कम क्षमता वाले Low Explosives</u>**

दुनिया का सबसे पहला विस्फोटक Black Powder या काला पाउडर है एवं सबसे पहले इसकी खोज एक चीनी व्यक्ति (Chinese) ने की थी । इस Black Powder की खोज के पीछे एक मजेदार कहानी है -

प्राचीन काल में चीनी कीमियागरों (Alchemists) ने मनुष्य जीवन को अमर बनाने के एक मात्र पदार्थ अमृत खोजने का प्रयोग करते रहते थे । उस खोज के दौरान उन लोगों के द्वारा बहुत सारे पदार्थों की खोज की गई थी परन्तु फिर भी अमृत नहीं मिला । कई सदियों के बाद अमृत खोजने के प्रयोग में एक महत्वपूर्ण चमत्कारी पदार्थ की खोज हुई, वह था (सॉल्टपोटर) यानि Potassium Nitrate Chemical । 850 ईसवी में ताग राजवंश (Taga Rajvansha) में एक उद्यमशील कीमियागर (Alchemist) ने इस चमत्कारी पदार्थ के साथ अमृत बनाने का प्रयोग कर रहा था । उन्होंने अमृत बनाने के लिए इस चमत्कारी पदार्थ यानि potassium nitrate के साथ कुछ मात्रा में charcoal और sulphur को मिश्रित किया और उसके बाद पता चला कि उस मिश्रण में अमृत वाला कोई गुण नहीं है । यह मिश्रण एक तरफ रखते समय आग के सम्पर्क में आने पर चमका और धमाके के साथ फट गया । फटने से उत्पन्न आग से उस रसायनज्ञ का हाथ और चेहरा जल गया । तबसे उस मिश्रण को Black Powder या काला पाउडर के नाम से जाना जाने लगा ।

इसके बाद चीनीयों ने इस Black Powder या काला पाउडर का प्रयोग आतिशबाजी बनाने या जहाजो का सिग्नल दिखाने के लिए उपयोग किया करते थे । धीरे धीरे Black Powder या काला पाउडर की शक्ति का पता चलने से युद्ध में भी इसका उपयोग किया जाने लगा । 13वीं शताब्दी में इस चमत्कारी पदार्थ यानि काला पाउडर के खोज की जानकारी भारत और यूरोप तक भी पहुँच गई ।

14वीं शताब्दी में जर्मन वैज्ञानिक ने काला पाउडर को मेटल पाइप में डालकर फायर करने की खोज की । तब से इस पाउडर को गन पाउडर के नाम से जाना जाने लगा ।

17वीं शताब्दी से industry यानि mines में गन पाउडर का उपयोग किया जाना शुरु हो गया । इस प्रकार से Gun Powder के रूप में दुनिया के पहले विस्फोटक पदार्थ का आविष्कार हुआ ।

.

2- **<u>उच्च क्षमता वाले High Explosives</u>**

सन् 1846 में इटली के रयायनज्ञ Ascanio Sobrero ने modern explosives यानि आधुनिक विस्फोटक की खोज की जिसे Nitro glycerine के नाम से जाना जाता है । उन्होंने glycol को nitric acid एवं sulphuric acid के साथ मिश्रित करके nitroglycerin बनाया । यह बहुत अस्थिर (unstable) एवं संवेदनशील (sensitive) विस्फोटक है । यह एक ऐसा विस्फोटक है जो थोड़े से भी friction, impact या shock होने से तुरन्त explode हो जाता है ।

Industry में इसका रखरखाव एवं उपयोग करना बहुत खतरनाक साबित होने लगा । सन् 1862 में Alfred Nobel ने इस आधुनिक विस्फोटक के बारे में पढ़ कर इसके रखरखाव एवं उपयोग करने का आसान तरीका खोज करना आरम्भ किया । Nobel ने nitroglycerin को एक inert absorbent पदार्थ के साथ मिश्रित करके इसे स्थिर एवं गैर संवेदनशील बना दिया और उसका नाम दिया ''डायनामाइट'' । डायनामाइट का रखरखाव एवं उपयोग बहुत आसान हो गया ।

वैज्ञानिक नोबेल ने अपने आविष्कार में Gelatinous Dynamite नाम के एक ऐसे विस्फोटक का खोज किया जो अधिक शक्तिशाली, रखरखाव में आसान, उपयोग में सुरक्षित एवं दाम में सस्ता था । इसको Gelly Explosives भी कहते हैं । नोबेल ने अपने प्रयोगों के दौरान बहुत सारे विस्फोटकों का आविष्कार किया जिनमें से कुछ हैं -
RDX, HMX, TNT, PETN, Picric Acid, Perchlorate, Chlorate, ANFO एवं Liquid Oxygen Explosive. यह सभी उच्च विस्फोटकों की श्रेणी में आते हैं ।

अब यह जानते हैं कि विस्फोटक अधिनियम 1884 क्यों बनाया गया? इसे बनाने की पीछे वजह क्या है?

<u>विस्फोटक अधिनियम 1884</u> - 1882 में बम्बई की एक निजी कम्पनी ने भारत सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि निषेधित विस्फोटकों के आयात की अनुमति दी जाए । केन्द्र सरकार ने बम्बई सरकार एवं पश्चिम बंगाल सरकार को विस्फोटक आयात की अनुमति के लिए आवेदन भेजा ।

मुम्बई सरकार ने जवाब में यह लिखा कि निषेधित विस्फोटक पदार्थ भारत में लाने के लिए कस्टम विभाग से क्लीयरेंस के लिए लिखा है । जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक आयात को रोके रखें ।

मगर पश्चिम बंगाल सरकार ने एक अच्छा मसौदा बनाया और उसमें विस्फोटकों का विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, प्रयोग, परिवहन, आयात, निर्यात के सभी प्रावधानों के बार में लिखकर भारत सरकार के पास भेज दिया । भारत सरकार ने एक समिति गठित की एवं उस मसौदे का फायनल बिल बनाने के लिए दिया गया ।

केन्द्र सरकार ने 26 फरवरी 1884 में इस बिल को इण्डियन एक्सप्लोसिव्स अधिनियम 1884 के नाम से पास कर दिया । 01.07.1884 को इस अधिनियम को सरकार के राजपत्र में INDIAN EXPLOSIVES ACT 1884 के नाम से प्रकाशित कर दिया गया । 1978 में इस अधिनियम में संशोधन करके INDIAN शब्द को हटा दिया गया । तब से यह अधिनियम EXPLOSIVES ACT 1884 के नाम से लागू कर दिया गया ।

विस्फोटक विभाग की स्थापना

1888 में नारी गॉर्ग व कच्छ (गुजरात) और एंटॉप हिल, मुम्बई स्थित ब्लास्टिग जिलेटिन को भण्डारण करने वाली कुछ मैगजीनों मे हुए श्रंखलाबद्ध विस्फोटों से मची हलचल और मैगजीनों के निकटवर्ती इलाकों में हुई भारी तबाही ने देश को झकझोर दिया । तब भारत सरकार द्वारा एक्सप्लोसिव दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक निर्णय लिया गया । निर्णय के अनुसार ईशापुर (पश्चिम बंगाल) स्थित गर्वनमेन्ट गनपाउडर कारखाने के अधीक्षक को इन्सपेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिव्स के पद पर नियुक्त किया और किर्की में स्थित आयुध फैक्टरी के अधीक्षक को चीफ इन्सपेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिव्स के पद पर नियुक्त किया । उनकी कार्य फैक्टरी के क्षेत्राधिकार में होने वाली विस्फोटक गतिविधियों को नियंत्रित करना था । परन्तु कुछ वर्षों बाद यह व्यवस्था केन्द्र सरकार को संतोषजनक नहीं लगी । तब सरकार ने यह निर्णय लिया कि पूर्ण रूप से स्वतन्त्र प्रभार वाला एक विभाग बनाया जाए और 1898 सितम्बर की 9 तारीख को भारत सरकार ने Major C.A. Muspratt Williams चीफ इन्सपेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिव्स के पद पर नियुक्त किया गया । उसके बाद विभाग भारत में विस्तारित होने लगा ।

1945 में Chief Inspector of Explosives के पद को बदलकर Chief Controller of Explosives कर दिया गया और भारत के प्रथम भारतीय Chief Controller of Explosives के रूप में श्री ए.के.सेन को नियुक्त किया गया । उनके बाद नियुक्त सभी चीफ कन्ट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव्स की सूची संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

(उक्त सभी जानकारी एन्साइक्लोपीडिया से ली गई है)

यादें

विनोद कुमार मिश्रा,
संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा

समंदर के किनारे की सांझ, उदास सी क्यों है,
हर गुजरते जोड़ों में, उनकी हर हंसी ठिठोली में
सागर की उठती गिरती लहरों में,
उसके अश्क की तलाश क्यों हैं ?

उन गलियों की फितरत, वो जुल्फें और वो नज़्में
झलक की जिजीविषा -
मुन्तज़िर न मिला,
दीदारे यार के इंतज़ार में मन निराश क्यों है ?

कल्पन मन में क्या कुछ शेष रहा
किसको मिलना, किसको खोना
क्या इसका कोई रोष रहा
न रहा कोई रोष तो फिर, दिल ये हताश क्यों है ?

मन उपवन में गहरे बैठी, स्मृतियां उनके संग बातों की
मुलाकात के वो पल छिन, औ' यादें उन अहसासों की
ए आइने बता तू -
उन यादों से आज भी ये चेहरा पलाश क्यों है ?

झीलों का शहर - उदयपुर

श्रावणी गांगुली
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, आगरा

स्वयं को खुश एवं स्वस्थ बनाए रखने के बहुत सारे उपायों में शामिल एक उपाय यह भी है कि प्रतिदिन के रूटीन से आप स्वयं को थोड़ा अलग करें या सम्भव हो तो उसे भूल ही जाएं । आप जहां और जिस परिवेश में रह रहे हैं, वहीं बने रहकर न तो ऐसा करना प्रैक्टिकली सम्भव है और न ही आप मानसिक रूप से स्वयं को इसके लिए तैयार कर पाएंगे कि कुछ न करके बस यूं ही खाली बैठे रहें । सही मायने में देखा जाए तो यह आपको खुशी प्रदान करने के स्थान पर और अधिक तनावग्रस्त कर देगा । प्रतिदिन के रूटीन से बाहर निकलने के लिए आपको कुछ समय के वेकेशन की और अपने दैनिक परिवेश के बाहर निकलने की आवश्यकता होती है । इसका सबसे अच्छा तरीका है कुछ दिनों के लिए अकेले या अपने परिवार के साथ किसी अन्य स्थान / शहर की यात्रा पर निकल जाएं । ऐसा करना प्रत्येक के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए हितकर होने के साथ साथ परिवार के सदस्यों के आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए भी नितान्त आवश्यक है । आज के दौर में मशीनी हो चुकी जीवनचर्या में परिवेश / परिस्थिति में एक नयापन लाने के लिए यात्रा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, हालांकि किसी भी नए स्थान की यात्रा हमेशा ही रोमांचित करने वाला होता है, उसे सिर्फ आधुनिक काल की आपाधापी से बचने के उपाय के रूप में नहीं देखा जा सकता है ।

हालांकि यात्राओं के मामले में, हमारा व्यक्तिगत अनुभव कुछ कम ही है परन्तु जो हैं वो यादगार हैं । अपने जीवनकाल में की गई तमाम ऐसी यात्राओं में एक है हाल ही में (विगत वर्ष) की गई हमारी उदयपुर यात्रा । एक ओर जहां उदयपुर जैसे सुंदर शहर की यात्रा का रोमांच था उससे कहीं अधिक उत्साह इसका था कि हम तीनों भाई बहनों को विवाहोपरान्त, परिस्थितिवश 32 वर्ष बाद पहली बार एक साथ यात्रा करने का अवसर मिला था । उस पर संयोग यह कि यात्रा वाले दिन ही छोटी बहन का जन्मदिन, जिसे हम सब ने सपरिवार रात को 12 बजे ट्रेन में सेलीब्रेट किया । उत्साह और खुशी की पराकाष्ठा थी ।

इस प्रकार एक यादगार शुरुआत रही हमारी उदयपुर यात्रा की । आगरा से शुरु हुआ ट्रेन का सफर समाप्त कर हम लोग सुबह उदयपुर स्टेशन पहुँच गए जहाँ पहले से ही बुक की हुई गाड़ी हम लोगों के इंतजार में थी । गाड़ी में सवार हो सब होटल पहुँचे । कुछ विश्राम के बाद तैयार होकर सब वहाँ से निकल पड़े उदयपुर घूमने । राजस्थान, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि अपने गौरवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध है इसलिए हमने भ्रमण के साथ ही एक गाइड भी साथ लेना वाजिब समझा ताकि यात्रा का आनन्द लेने के साथ ही कुछ ज्ञान भी अर्जित कर सकें । आप सबका भी कभी न कभी गाइड के साथ स्मारकों के भ्रमण का अनुभव अवश्य होगा । गाइड, स्थान विशेष के स्मारकों का अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं ।

गाइड ने जो कुछ जानकारी हमें दी, वह आपके साथ साझा करने के प्रयास का परिणाम है यह लेख । उम्मीद है इसे पढ़कर आप भी उदयपुर की आभासी यात्रा तो कर ही लेंगे - उदयपुर को पहले मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। देश के कई देशभक्तों ने इस शहर का नाम रोशन किया है । मेवाड़ का संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है और यहां का राजवंश स्वयं को सूर्य से जोड़ कर देखता है । राजपूतों, मुगलों तथा अन्य शासकों का आपस में स्वतंत्रता, स्वाभिमान तथा धर्म के लिए संघर्ष हुआ । यहां जैसी देशभक्ति, उदार व्यवहार तथा स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट इच्छा किसी दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती है।

अरावली पहाड़ी के पास स्थित उत्तरी भारत के सबसे आकर्षक पर्यटक शहर उदयपुर को **झीलों की नगरी** भी कहा जाता है । उदयपुर में झीलों के साथ मरुस्थल का भी अनोखा संगम देखने को मिलता है। उदयपुर की गिनती विश्व के सबसे खूबसूरत शहरों में की जाती है । यहां पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ है जो न केवल मनोरम हैं बल्कि भारत देश के गौरवशाली इतिहास के भी साक्षी हैं।

उदयपुर के दर्शनीय स्थलों में गाइड ने हमें बहुत से नाम गिनाए और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी भी दी । उदयपुर में पिचोला झील, दूध तलाई झील, गोवर्धन सागर झील, कुमारी तालाब, रंगसागर झील, स्वरूप सागर झील, फतेहसागर झील, जयसमंद झील आदि झीलों के अलावा अन्य दर्शनीय स्थानों में सिटी पैलेस, सज्जनगढ़ पैलेस, विन्टेज कार म्यूज़ियम, जगदीश मन्दिर, दूध तलाई म्यूज़िकल गार्डन, गुलाब बाग व ज़ू, सहेलियों की बाड़ी, इकलिंग जी मन्दिर, नाथद्वारा मन्दिर, जगमन्दिर पैलेस, बड़ा महल, महाराणा प्रताप स्मारक, नेहरु गार्डन, भारतीय लोक कला म्यूज़ियम आदि प्रमुख हैं।

अपनी निर्धारित यात्रा अवधि में हमारे लिए सभी दर्शनीय स्थलों को विज़िट करना तो सम्भव नहीं था । कहीं कहीं फिज़िकली जाकर तथा कुछ स्थलों के बारे में महज़ जानकारी प्राप्त करके हमने अपनी यात्रा पूरी की । कुछ स्थानों की जानकारी आप सबके साथ भी साझा कर रहे हैं -

1. **पिचोला झील (Pichola Lake)**

वैसे तो यह एक कृत्रिम झील है पर इसका प्राकृतिक दृश्य देखकर आपको यह किसी वास्तविक झील से कम नहीं लगेगी। संध्या के समय नाव की सवारी किए बिना आपकी यह यात्रा अधूरी है क्योंकि इस सवारी से आपको एक अनोखा नज़ारा देखने मिलेगा। शाम के वक्त इमारतों और पानी पर पड़ती सूरज की किरणों से हर तरफ का नज़ारा सुनहरा हो उठता है और इसकी शोभा मंत्रमुग्ध कर देती है ।

2. **सिटी पैलेस (City Palace)**

पिचोला झील के किनारे बसे इस महल को राजस्थान का सबसे बड़ा महल माना जाता है। बड़े-बड़े आलीशान कमरे, हैंगिंग गार्डन, संग्राहलय एक उच्च कोटी के राज घराने का एहसास कराते हैं। महल की अद्भुत मूर्तियां और रंग-बिरंगी तस्वीरें नए ढंग से इसके इतिहास से परिचय कराती हैं । इतिहास में रुचि रखने वाले व प्राचीन काल के विषय में जानने के इच्छुक व्यक्ति यहाँ आकर महाराना उदय सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं।

3. **सज्जनगढ़ पैलेस (Sajjangarh Palace)**

उदयपुर की सरहद पर बसा यह महल मेवाड़ वंश का स्थल है। इस महल का नाम इसके संरक्षक महाराना सज्जन सिंह के नाम पर पड़ा। यह महल अरावली की पहाड़ियों की ऊँचाई पर बनाया गया ताकि मानसून के बादलों का पता लगाया जा सके । ऊँचाई से शहर के टिमटिमाते छोटे-छोटे घर रात में इस दृश्य में चार चाँद लगाते हैं ।

4. **फतह सागर झील (Fateh Sagar Lake)**

यह झील उदयपुर की दूसरी बड़ी झील है। खूबसूरती की चादर ओढ़े इस झील की सुन्दरता आपके मन को सुकून देगी । नाव में सैर और कई अन्य जल संबंधी खेल आपका भरपूर मनोरंजन करेंगे । यह तीन तीन भागों में विभक्त है - नेहरू पार्क, नाव के आकार का रेस्टोरेंट एवं बच्चों के लिए ज़ू ।

5. **विन्टेज कार म्यूज़ियम (Vintage Car Museum)**

उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल में महाराणा प्रताप के वंशजों द्वारा आरम्भ किया गया ये संग्राहलय भी सम्मिलित है। कारों के प्रति अपने मन में उत्सुकता रखने वालों के लिए यह एक खास जगह है जहाँ ऐसे विलुप्त मॉडल देखने को मिलते हैं जो अब कहीं और नहीं देख पाएंगे ।

6. **जगदीश मंदिर (Jagdish Temple)**

भगवान विष्णु का ये मंदिर सिटी पैलेस में स्थित है। मंझे हुए कलाकारों ने यहाँ की मूर्तियों को पत्थर पर इस प्रकार उकेरा है जैसे अभी ये बोल पड़ेंगी। यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण यात्रियों को अपनी ओर खींचता है। चार हाथों वाले विष्णु भगवान की मुख्य मूर्ति को केवल एक ही काले पत्थर द्वारा बनाया गया है । इस मूर्ति को चार छोटी मूर्तियों ने घेर रखा है जो भगवान गणेश, सूर्य भगवान, शक्ति की देवी और शिव जी की है।

7. **दूध तलाई म्यूज़िकल गार्डन (Dudh Talai Musical Garden)**

यह गार्डन सातों दिन खुला रहता है । किसी भी दिन जाकर ढलते सूरज की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया जा सकता है ।

8. **जयसमंद झील (Jaisamand Lake)**

यह देश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण से घिरी हुई है। इस झील का निर्माण राजा जय सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में करवाया गया था।

9. **सहेलियों की बाड़ी (Saheliyon-Ki-Bari)**

फतह सागर झील के किनारे स्थित इस अत्यंत सौंदर्य पूर्ण बगीचे का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। इस मनोरम जगह पर अपने परिवार और मित्रों के साथ या अकेले भी जाया जा सकता है ।

10. **इकलिंगजी मंदिर (Eklingji Temple)**

उदयपुर से 22 किमी की दूरी पर भगवान शिव को समर्पित यह मन्दिर स्थित है। इसकी वास्तुकला अचंभित करने वाली है। इस मन्दिर में काले मार्बल से बनी भगवान शिव की 50 फीट विशाल चतुर्मुखी प्रतिमा स्थित है ।

11. जग मंदिर पैलेस (Jag Mandir Palace)

इस्लामिक वास्तुकला से बने इस महल का अन्य नाम है – "द लेक गार्डन पैलेस"। इसे संगमरमर व पीले बलुआ पत्थर से बनाया गया है। चारों ओर झिलमिलाता पानी व उसके बीच में यह अद्भुत चमकता महल अपनी सुंदरता स्वयं बयां करता है ।

12. बड़ा महल (Bada Mahal)

यह एक आकर्षक दर्शनीय स्थल है। इसके सुंदर बगीचों के वजह से इसको गार्डन पैलेस भी कहा जाता है।

13. **महाराणा प्रताप स्मारक (Maharana Pratap Samarak)**

फतह सागर झील के किनारे बना भारतीय इतिहास के महान योद्धा महाराणा प्रताप स्मारक उनकी वीरता की गवाही देता है। चेतक पर बैठे महाराणा प्रताप अपने शौर्यवान बलिदान की गाथा कहते हैं। 11 फीट ऊँची इस प्रतिमा को पीतल से बनाया गया है।

14. भारतीय लोक कला म्यूज़ियम (Bharatiya Lok Kala Mandal)

उदयपुर का ये संग्राहलय बहुत मशहूर है। राजस्थानी संस्कृति को बनाए रखने का स्त्रोत मेवाड़ इलाके की अद्भुत विरासत का नमूना दिखाता है । यहाँ कुछ पारंपरिक वस्तुएँ व कलाकृतियाँ सँजो कर रखी गई हैं ।

पंचतंत्र

डी.वी.सिंह
उप विस्फोटक नियंत्रक, देहरादून

जीवन तो है एक कड़वा सत्य, स्वीकार कर जहन में उतार लो ।
सफलता की सीढ़ी 'गर है चढ़नी, पंचतंत्र अभी से तुम अपना लो ।।

अतीत के पन्ने जो पलट चुके, उन पन्नों को फिर क्यों दोहराना ।
नई रोशनी ले रोज उगता सूरज, भविष्य के कदम हमेशा आगे बढ़ाना ।।

जो आज हैं साथ, वो कल नहीं रहेंगे, दूसरों से क्यों ज्यादा उम्मीद रखना ।
रिश्तों के धागे बड़े होते हैं नाजुक, मुश्किल है बड़ा, सबको खुश रखना ।।

किसी से अपने को कम आंकना, ख्याल जहन में कभी लाना नहीं चाहिए ।
तकदीर बदलते तनिक देर नहीं लगती, अच्छी सोच लिए आगे बढ़ना चाहिए ।।

कशमकश में गुज़ार अपनी जिन्दगी, चार दिन भी पूरे नहीं कर पाएंगे ।
चिंता से शुरु होता, चिता पर खत्म, जीवन का सुख कभी भोग नहीं पाएंगे ।।

माननीय संसदीय राजभाषा समिति - जानकारी एवं निरीक्षण सम्बन्धी दिशानिदेश

केन्द्र सरकार का कोई भी कार्यालय, चाहे वह कार्य की प्रकृति की वजह से आपस में जुदा हों परन्तु राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की दृष्टि से आपस में जुड़े हुए हैं । यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि राजभाषा हिंदी अनेकता में एकता स्थापित करती है । भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए जो भी अधिनियम, नियम, नीतियां बनाई गई हैं एवं समय समय पर जो भी आदेश, निदेश जारी किए जाते हैं, वह केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों के लिए समान रूप से लागू होते हैं एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित करना सभी कार्यालय प्रमुखों का उत्तरदायित्व है ।

कार्यालयों में इन नियमों / आदेशों का अनुपालन करते हुए कार्यालयों में किए जा रहे राजभाषा कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने हेतु विभिन्न स्तर पर निरीक्षण की व्यवस्था भी की गई है जैसे कि कार्यालयों के राजभाषा अधिकारी द्वारा आंतरिक निरीक्षण, मुख्यालय स्तर पर निरीक्षण, कार्यालयों के संबंधित मंत्रालय स्तर पर निरीक्षण अथवा क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण। इसी प्रकार राजभाषायी कार्यों की समीक्षा हेतु निरीक्षण करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति है संसदीय राजभाषा समिति ।

संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन वर्ष 1976 में किया गया था । इसमें 30 संसद सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। माननीय गृह मंत्री जी इस समिति के अध्यक्ष होते हैं । राजभाषा कार्य की प्रगति के निरीक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस समिति को तीन उप-समितियों में विभाजित किया गया है। यह समिति अपने प्रतिवेदन राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करती है । इस समिति का मुख्य उद्देश्य सरकार के कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करना है।

यद्यपि प्रत्येक कार्यालय द्वारा राजभाषा विभाग द्वारा बनाई गई नीतियों, प्रति वर्ष राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों एवं सरकार द्वारा समय समय पर राजभाषायी कार्यों के क्रियान्वयन हेतु जारी आदेशों एवं अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में पूर्ण प्रयास किया जाता है एवं समय समय पर विभिन्न निरीक्षण समितियों द्वारा उन कार्यों की समीक्षा करने पर पाई गई कमियों को अवगत कराने पर संबंधित कार्यालयों द्वारा उन्हें दूर भी कर लिया जाता है तथापि, माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण किए जाने की सूचना प्राय:, कार्यालयों के राजभाषा कर्मियों को कहीं न कहीं विचलित कर देती है ।

माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा इस कार्यालय के राजभाषायी कार्यों का दो बार निरीक्षण किया जा चुका है । माननीय समिति द्वारा निरीक्षण किए जाने से पूर्व संबंधित कार्यालयोंको लगभग 30 पृष्ठों की निरीक्षण प्रश्नावली हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में भरकर तैयार करनी होती है । उक्त प्रश्नावली में, आंकड़े भरने की तिथि से पूर्व की चार तिमाहियों के आंकड़े भरे जाने होते हैं । चूंकि उक्त तिमाहियों की रिपोर्ट पहले ही प्रेषित की जा चुकी होती है अत: केवल उन आंकड़ों / रिपोर्टों को समेकित करके निरीक्षण प्रश्नावली में आंकड़े / जानकारी उपलब्ध कराई जानी होती है एवं आवश्यकतानुसार सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्य भी संलग्न किए जाने होते हैं ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा छमाही समीक्षा बैठकों में सभी कार्यालयों से निरंतर यह निवेदन किया जाता है एवं अपेक्षा की जाती है कि राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधी कार्यों को भी अन्य कार्यालयीन कार्यों की तरह महत्व देते हुए पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ किया जाए । राजभाषायी कार्यों से संबंधित त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक रिपोर्टों को भरते समय आंकड़ों को पूरी तरह से जांच करके भरा जाए तथा राजभाषा अधिनियम, नियम एवं राजभाषा विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों / अनुदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। रिपोर्टों को भरते समय कभी भी कोई आधारहीन जानकारी / आंकड़े प्रस्तुत न किए जाएं जिन्हें, आवश्यकता पड़ने पर दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत न किया जा सके ।

यद्यपि सभी कार्यालयों द्वारा राजभाषा संवर्धन की दिशा में अपने अपने स्तर पर सकारात्मक सोच एवं पूर्ण निष्ठा के साथ प्रयास किए जाते हैं एवं विभिन्न कार्यालयों को राजभाषा के क्षेत्र में प्राप्त होने वाले पुरस्कार, उनके प्रयासों की गवाही देते हैं परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि निम्न जानकारी (संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली में से यथावत् उद्धृत) सम्भवत: सभी कार्यालयों के राजभाषायी कार्यों को और बेहतर ढंग से करने में और कार्यालयों को किसी भी तरह के राजभाषायी निरीक्षण (विशेषकर संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण) के लिए तैयार रहने में मददगार सिद्ध होगी ।

निम्न जानकारी सभी राजभाषा कर्मियों के सुलभ सन्दर्भ हेतु उद्धृत की जा रही हैं एवं प्रयास किया गया है कि इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे परन्तु फिर भी, अनुरोध है कि किसी भी संशय की स्थिति में राजभाषा विभाग के वेबसाइट में दी गई संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली का संदर्भ ले लिया जाए ।

परिभाषाएं

1. **हिन्दी में प्रवीणता** - किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है यदि उसने -

(क) मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी को माध्यम के रूप में अपनाकर उत्तीर्ण की है; अथवा

(ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समकक्ष या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को उसने एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था; अथवा

(ग) वह यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है।

2. **हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान** - किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यदि उसने-

(i) मैट्रिक परीक्षा या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण की है; अथवा

(ii) केन्द्रीय सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट वर्ग के पदों के संबंध में निर्धारित कोई निम्नस्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है; अथवा

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्धारित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

(iv) यदि वह यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

DEFINITIONS

1. Proficiency in Hindi - An employee shall be deemed to possess proficiency in Hindi if:-

(a) he has passed the Matriculation or any equivalent or higher examination with Hindi as the medium of examination; or

(b) he has taken Hindi as an elective subject in the degree examination or any other examination equivalent to or higher than the degree examination; or

© he declares himself to possess proficiency in Hindi.

2. Working knowledge of Hindi - An employee shall be deemed to have acquired working knowledge of Hindi if he has passed:-

(i) the Matriculation or an equivalent or higher examination with Hindi as one of the subject; or

(ii) the Pragya examination conducted under the Hindi Teaching Scheme of the Central Government or when so specified by that Government in respect of any particular category of posts, any lower examination under that Scheme; or

(iii) any other examination specified in that behalf by the Central Government; or

(iv) if he declares himself to have acquired such working knowledge.

प्रश्नावली में उल्लिखित राजभाषा अधिनियम / नियम तथा राजभाषा नीति संबंधी सरकारी आदेशों से लिए गए संगत उद्धरण

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) से उद्धरण

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही-

(i) संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में/के या नियंत्रण में/के किसी नियम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं;

(ii) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागज-पत्रों के लिए;

(iii) केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में/के या नियंत्रण में/के किसी निगम या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्रारूपों, के लिए प्रयोग में लाई जाएगी ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अनुसार सामान्य आदेश में निम्नलिखित सम्मिलित है-

(1) ऐसे सभी आदेश, निर्णय या अनुदेश जो विभागीय प्रयोग के लिए हों और जो स्थायी प्रकार के हों;

(2) ऐसे सभी आदेश, अनुदेश, पत्र, ज्ञापन, नोटिस आदि जो सरकारी कर्मचारियों के समूह अथवा समूहों के संबंध में हों या उनके लिए हों;

(3) ऐसे सभी परिपत्र जो विभागीय प्रयोग के लिए हों या सरकारी कर्मचारियों के लिए हों।

RELEVANT EXTRACTS FROM THE OFFICIAL LANGUAGES ACT / RULES AND GOVERNMENT ORDERS ON OFFICIAL LANGUAGE POLICY AS MENTIONED IN QUESTIONNAIRE

Extract from Section 3(3) of Official Languages Act, 1963

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) both Hindi and the English language shall be used for-

(i) resolutions, general orders, rules, notifications, administrative or other reports or press communiqués issued or made by the Central Government or by a Ministry, Department or office thereof or by a Corporation or Company owned or controlled by the Central Government or by any office of such Corporation or Company;

(ii) administrative and other reports and official papers to be laid before a House or the Houses of Parliament;

(iii) contracts and agreements executed, and licences, permits, notices and forms of tender issued by or on behalf of the Central Government or any Ministry, Department or Office thereof or by a Corporation or Company owned or controlled by the Central Government or by any office of such Corporation or Company.

As per Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 the following are covered in general orders :-

(1) all orders, decisions or instructions intended for departmental use and which are of standing nature;

(2) all such orders, instructions, letters, Memoranda, Notices, etc. related to or intended for group or groups of Government employees;

(3) all circulars whether intended for departmental use or for Government employees.

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976

नियम 2

(च) "क" क्षेत्र से बिहार, झारखण्ड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तरांचल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

(छ) "ख" क्षेत्र से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य और चंडीगढ़, दमन एवं दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

ज) "ग" क्षेत्र से खण्ड(च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेतहैं।

नियम 8 - केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना

(1) कोई कर्मचारी किसी फाईल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिन्दी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।

(4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त हैं, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा ।

नियम 10 (2) यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

नियम 10 (4) केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के अस्सी प्रतिशत कर्मचारियों/अधिकारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख से उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नही रह जाएगा ।

Official Language (for Official use of the Union) Rules, 1976

Rule 2

(f) "Region A" means the States of Bihar, Jharkhand, Haryana, Himachal Pradesh, Chattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttaranchal and Andaman and Nicobar Islands and the Union Territory of Delhi;

(g) "Region B" means the States of Gujarat, Maharashtra and Punjab and the Union Territories of Chandigarh, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli;

(h) "Region C" means the States and the Union Territories other than those referred to in clauses (f) and (g).

Rule 8 Noting in Central Government offices

(1) An employee may record a note or minute on a file in Hindi or in English without being himself required to furnish a translation thereof in other language.

(4) Not withstanding anything contained in sub-rule (i) the Central Government may order, specify the notified offices where Hindi alone shall be used for noting, drafting and for such other official purpose as may be specified in the order by employees who possess proficiency in Hindi.

Rule 10(2) The staff of a Central Government Office shall ordinarily be deemed to have acquired a working knowledge of Hindi if eighty percent of the staff working therein has acquired such knowledge.

Rule 10(4) The names of the Central Government Offices, the staff whereof have acquired a working knowledge of Hindi, shall be notified in the Official Gazette.

Provided that Central Government may if it is of opinion that the percentage of the staff working in a notified office and having a working knowledge of Hindi has gone below the percentage specified in sub-rule (2) from any date, it may, by notification in the Official Gazette declare that the said office shall cease to be a notified office from that date.

नियम 11 मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि -

(1) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।

(3) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा आवश्यक समझती है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा केन्द्र सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।

नियम 12 अनुपालन का उत्तरदायित्व –

(1) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वहः-

(i) यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है और;

(ii) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करें ।

(2) केन्द्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है।

Rule 11 Manuals, codes, other procedural literature, articles of stationery etc. –

(1) All manuals, codes and other procedural literature relating to Central Government offices shall be printed or cyclostyled, as the case may be, and published both in Hindi and English in diglot form.

(2) The forms and headings of registers used in any Central Government office shall be in Hindi and in English.

(3) All name-plates, sign boards, letter heads and inscriptions on envelopes and other items of stationery written, printed or inscribed for use in any Central Government office shall be in Hindi and in English.

Provided, the Central Government may, if it is considered necessary to do so by general or special order exempt any Central Government office from all or any of the provisions of this Rule.

Rule 12 Responsibility for compliance-

(1) It shall be the responsibility of the administrative head of each Central Government office:-

(i) to ensure that the provisions of the Act and these rules are properly complied with; and
(ii) to devise suitable and effective check points for this purpose.

(2) The Central Government may from time to time issue such directions to its employees and offices as may be necessary for the due compliance of the provisions of the Act and these rules.

राजभाषा नीति संबंधी आदेश / ORDERS REGARDING OFFICIAL LANGUAGES POLICY

(1) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 24.11.95 के का. ज्ञा. सं0 12021/5/95-रा.भा. (कार्या0 ।।) से उद्धरण-मैनुअलों, फार्मों, कोडों आदि की हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी (डिगलॉट रूप में) छपाई ।

1. मैनुअल, फार्म, कोड आदि हिन्दी-अंग्रेजी (डिगलॉट रूप में) द्विभाषी छपवाए जाएं । फार्मों आदि के हिन्दी शीर्षक पहले दिए जाएं और अंग्रेजी शीर्षक बाद में । हिन्दी अक्षरों के टाइप अंग्रेजी से छोटे न हों ।
2. सभी मंत्रालय/विभाग अपने नियंत्रणाधीन प्रेस तथा अन्य कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी करें कि वे कोई भी सामग्री केवल अंग्रेजी में छापने के लिए स्वीकार न करें ।
3. शहरी विकास मंत्रालय की ओर से प्रकाशन निदेशालय को अनुदेश है कि कोड/मैनुअल आदि को छपाई के लिए तभी स्वीकार किया जाए जब वे द्विभाषी रूप में हों ।

(2) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 26 फरवरी, 1988 के का. ज्ञा. सं0 14034/15/87-रा.भा.(क.1) से उद्धरण - अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना ।

1. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 3 के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार के "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/कम्पनियों आदि द्वारा "क" क्षेत्र में स्थित राज्यों या संघ क्षेत्रों या उनके अधीन कार्यालयों के साथ पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाना आवश्यक है ।
2. राजभाषा नियम, 1976 में की गई उपर्युक्त व्यवस्था का अनुपालन सही ढंग से तभी हो सकता है जबकि क्षेत्र की राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से मूल पत्राचार हिन्दी में किया जाए और उनसे कोई पत्र अंग्रेजी में भी आए तो उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाए ।

(3) राजभाषा विभाग,गृह मंत्रालय के दिनांक 21.07.1992 के ज्ञा.सं.*12024/2/92*-रा.भा.*(ख-2)-4* से उद्धरण - हिंदी में पत्राचार

1. संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट के चतुर्थ खण्ड में सिफारिश की है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में दिए जाएं तथा मूल पत्राचार में राजभाषा नियमों में वर्णित अनिवार्यताओं का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाए और "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ भी हिन्दी में पत्राचार को बढाया जाए । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा और "ख" क्षेत्र को भेजे जाने वाले तार देवनागरी में भेजे जाएं और "ग" क्षेत्र में भी हिन्दी में तार भेजने की शुरूआत की जाए ।

(1) Extracts from O.M. No. 12021/5/95-O.L. (Imp.II) dated 24.11.95 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language regarding printing of manuals, forms, codes, etc. bilingually (in diglot form).

1. All forms, manuals, codes, etc. should be printed bilingually both in Hindi and English (in diglot form). Hindi headings should come first followed by English headings on the forms. The type used for Hindi letters should not be smaller in size than that used for English letters.
2. All Ministries/Departments may issue necessary instructions to the presses and other offices under their control that they should not accept any material for printing in English only.
3. Instructions have been issued by the Ministry of Urban Development to the Publication Directorate that codes/manuals etc. should be accepted for printing only when they are in bilingual form.

(2) Extracts from O.M. No. 14034/15/87-O.L. (A-I) dt. 26 Feb' 1988 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language regarding reply in Hindi of the letters received in English.

1. Under the provisions of Rule 3 of the Official Language Rules,1976, it is required that all Ministries/ Departments/Offices/Undertakings/Companies etc. of the Central Government located in Region 'A' & 'B' should correspond with the States or Union Territories or the offices under their control located in Region "A" in Hindi.
2. The aforesaid provisions made under the Official Language Rules, 1976 can be complied with properly only if original correspondence with the State Governments and the administrations of the Union Territories in Region "A" is done in Hindi and even if a letter is received in English from them it may also be replied to in Hindi.

(3) Extracts from O.M. No. 12024/2/92-O.L. (B-2)-4 dated 21 July' 1992 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language regarding correspondence in Hindi.

1. The Committee of Parliament on Official Language in the 4th part of its report has recommended that the letters received in Hindi should, invariably be replied to in Hindi and the bindings laid down in the Official Language Rules relating to original correspondence should be fully complied with and the quantum of correspondence in Hindi with the Central Govt. Offices located in Region "C" should also be increased. The Committee has also recommended that the telegrams issued by the Central Govt. Offices to the Offices located in Regions 'A' & 'B' should be in Devanagari Script and a beginning be made to send telegrams in Hindi in Region 'C' as well.

2. समिति की उक्त सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/ विभागों, आदि से अनुरोध है कि वे अपने यहां तथा अपने सभी सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों/ उपक्रमों/ निगमों आदि में हिन्दी पत्राचार को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएं ताकि वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके ।

(4) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *21* जुलाई, *1992* के का.ज्ञा. सं. *12024/2/92*-रा.भा. *(ख-2)-6* से उद्धरण - रजिस्टरों और सेवा पुस्तिकाओं के शीर्षक और प्रविष्टियां ।

1. संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट के चतुर्थ खण्ड में यह सिफारिश की है कि- (1) सभी कार्यालयों में उपलब्ध रजिस्टरों और सभी वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं के शीर्षक द्विभाषी होने चाहिए और उनमें प्रविष्टियां हिन्दी में होनी चाहिए । (2)क और ख क्षेत्रों में भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही लिखे जाएं ।
2. समिति की उक्त सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि *(1)*क व ख क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रखे जाने वाले रजिस्टरों/ सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिन्दी में ही की जाएं क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में ऐसी प्रविष्टियां यथासंभव हिन्दी में की जाएं । *(2)*क तथा ख क्षेत्रों में भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही लिखे जाएं ।

(5) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 06.04.1992 के का.ज्ञा. सं. *12024/2/92*-रा.भा. *(ख-2)* से उद्धरण - जांच बिन्दु स्थापित करना ।

1. संसदीय राजभाषा समिति ने अपने चतुर्थ खण्ड में यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों एवं उनके सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/ निगमों आदि में राजभाषा नियम, *1976* के नियम *12* के अनुसार प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान राजभाषा अधिनियम, *1963* और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुबंधों के समुचित अनुपालन के लिए जांच बिन्दु बनाने के संबंध में अपनी जिम्मेदारी का निष्ठापूर्वक पालन करें और जांच बिन्दुओं को प्रभावशाली ढंग से स्थापित करें ।
2. मंत्रालयों/विभागों से संसदीय राजभाषा समिति की उक्त सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि वे राजभाषा नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने एवं हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित जांच बिन्दु स्थापित करेः-

(क) लिफाफों पर हिन्दी में पते लिखना

प्रेषण अनुभाग को जांच बिन्दु बनाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि क तथा ख क्षेत्रों को जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते देवनागरी लिपि में ही लिखे जाएं ।

2. In the perspective of the above recommendations of the Committee, all the Ministries/Departments are requested that they should take concrete steps to increase Hindi correspondence in their Ministries/Deptt./all the Attached/ Subordinate Offices / Undertakings/Corporations etc. in order to achieve the targets mentioned in the Annual Programme.

(4) Extracts from O.M. No. 12024/2/92-O.L.(B-2)-6 dt. 21 July' 1992 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language regarding Headings and Entries in the Registers and Service Books.

1. The Committee of Parliament on Official Language in the fourth part of its report has recommended that (1) the headings of the registers available in all the Govt. Offices and of the service books of all categories of Officers and employees should be bilingual and the entries therein should be made in Hindi; (2) the addresses on the envelopes to be sent to regions 'A' & 'B' should, invariably, be written in Hindi.
2. In the perspective of the recommendations of the Committee of Parliament on Official Language, all the Ministries/Departments are requested to ensure that (i) the entries in the registers/service books to be maintained in the Central Government Offices located in Regions "A" & "B" be made in Hindi and such entries in the offices located in region "C" as far as possible be made in Hindi. (ii) addresses on the envelopes to be sent to regions "A" & "B", invariably, be written in Hindi.

(5) Extracts from O.M.No. 12024/2/92-O.L.(B-2) dated 06-04-1992 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language regarding establishment of check points.

1. Committee of Parliament on Official Language in Fourth Part of its report has recommended that according to Rule 12 of Official Language Rules, 1976, the Administrative heads of all Ministries/Departments and their attached/subordinate offices/undertakings/corporations etc. may discharge their responsibility effectively regarding devising of the check-points for ensuring appropriate compliance of the Official Languages Act, 1963 and the provisions made thereunder and thus, may establish various check-points in an effective manner.
2. In the perspective of the above mentioned recommendation of the Committee of Parliament on Official Language, all the Ministries/Departments are requested that they may establish the following check-points for the progressive use of Hindi and to ensure compliance of Official Language Rules:-

(A) Writing of addresses on envelopes in Hindi - The Despatch section should be made a check-point and it should ensure that the addresses on the envelopes, meant for dispatch to regions "A" and "B" are written in Hindi.

(ख) सेवा पंजी में प्रविष्टियां

जिस अनुभाग में कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां करने का काम होता है उसके प्रभारी अधिकारी की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में की गई प्रविष्टियां हिन्दी में की जाएं। इस प्रकार की प्रविष्टियां "ग" क्षेत्र में यथासंभव हिन्दी में की जाएं/ इस बात की पड़ताल सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियां करते समय/ उस पर हस्ताक्षर करते समय कर ली जाए ।

(6) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *22* अप्रैल, *2008* के संकल्प सं. *21034/18/2008*-रा*0*भा*0 (*प्रशि*0)* से उद्धरण - हिन्दी प्रशिक्षण ।

1. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *04* नवम्बर, *1991* के संकल्प संख्या *13015/1/91*-रा*0*भा*0 (*घ*)* का आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति ने अब यह आदेश दिया है कि सभी क्षेत्रों अर्थात क, ख एवं ग क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण वर्ष *2015* के अंत तक पूरा कर लिया जाए ।

(7) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *06* मई, *1992* के का. ज्ञा. सं. *12012/7/92*-रा.भा. *(ख-1)* से उद्धरण - हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण ।

1. संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट के तीसरे खण्ड में यह सिफारिश की है कि सभी प्रकार का प्रशिक्षण चाहे वह अल्पावधि का हो या दीर्घावधि का, हिन्दी माध्यम से सम्पन्न होना चाहिए ताकि हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण लेने के बाद कर्मचारियों के लिए हिन्दी में ही मूल कार्य करना सुविधाजनक हो ।
2. समिति की उक्त सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने संबंधी सभी निर्देशों को पूरी तरह कार्यान्वित कराएं तथा इसकी सूचना राजभाषा विभाग को भिजवाएं ।

(B) Entries to be recorded in the Service-Books

It should be the responsibility of the Officer-in-Charge of the section where the service books are maintained that the entries in the service books of the officers/staff working in the regions “A” and “B” should be recorded in Hindi. In region “C” such entries should be made in Hindi as far as possible. This fact should be examined at the time of making entry in the Service Books/signing the Service-Books.

(6) Extracts from Resolution No. 21034/18/2008-O.L. (Trg.) dated 22nd April, 2008 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language regarding training in Hindi.

1. In partial modification of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language's Resolution No. 13015/1/91-OL(D) dated 4th November, 1991, the President has now ordered that the employees of the offices located in all the regions viz. ' A ', 'B ' and 'C ' would be imparted training in Hindi by the end of the year 2015.

(7) Extracts from O.M. No. 12012/7/92-O.L. (B-I) dated 6th May, 1992 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language regarding imparting training through Hindi medium.

1. The Committee of Parliament on Official Language has recommended in the third Part of Report that all types of training whether it is of short or long duration should be imparted through Hindi medium so that after having training through Hindi medium, the employees could be able to do their original work in Hindi easily.

2. In view of the above, all the Ministries/Departments are requested that all the instructions regarding imparting training through Hindi medium may be got implemented fully and the Department of Official Language may be accordingly informed.

(8) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *17* जुलाई, *1990* के का. ज्ञा. सं. *13015/1/90*-रा.भा. *(घ)* से उद्धरण - हिन्दी टाइपिंग/ हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित सभी कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में कार्य किया जाना ।

1. संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के दूसरे खण्ड में सिफारिश की है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि में प्रशिक्षित सभी कर्मचारियों की सेवाओं का हिन्दी में काम करने के लिए पूरा लाभ उठाया जाए ।
2. समिति की उक्त सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/ विभागों से यह अनुरोध है कि वे देवनागरी टंकण व आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित करें तथा उन्हें हिन्दी टाइपराइटर, उपयुक्त संदर्भ साहित्य आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

(9) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 05.04.1989 के का.ज्ञा. सं.*13035/3/88*-रा.भा.*(ग)* से उद्धरण हिन्दी पदों का सृजन। हिन्दी के न्यूनतम पदों के मानकों पर पुनर्विचार किया गया है ताकि राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए अपेक्षित न्यूनतम पदो के मानकों को और अधिक युक्तिसंगत बनाया जा सके जिससे कि अनावश्यक पदों की रचना न की जाए पर साथ ही राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और आवश्यक पदों का सृजन भी आसानी से किया जा सके।

(10) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *26* नवम्बर, *1990* के का. ज्ञा. सं. *13017/3/90*-रा.भा. *(ग)* से उद्धरण - विधि के क्षेत्र में मूल प्रारूप हिन्दी में काम करना तथा फार्मों को द्विभाषी बनाया जाना ।

(क) समिति ने सिफारिश की है कि राजभाषा अधिनियम की धारा *3 (3) (iii)* के अन्तर्गत आने वाले संविदाओं और करारों तथा लाइसेंसों, परमिटों, नोटिसों और टेंडरों के सभी फार्मों को हिन्दी में अनूदित कराने तथा द्विभाषी रूप में छपवाने की यथाशीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ये हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी किये जा सकें और भरे जा सकें ।

2. सभी मंत्रालय/ विभाग कृपया उपर्युक्त के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

(ख) संसदीय राजभाषा समिति ने मूल प्रारूपण के बारे में यह सिफारिश की है कि विधि के क्षेत्र में मूल प्रारूपण हिन्दी में किया जाए ताकि हिन्दी में बनी विधियों का हिन्दी में निर्वचन कर निर्णय हिन्दी में लिखे जाएं ।

(8) Extracts from O.M. No. 13015/1/90-O.L. (D) dated 17 th July, 1990 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language regarding work to be done in Hindi by all employees trained in Hindi typing/Hindi stenography.

1. The Committee of Parliament on Official Language has recommended in its Second Part of the Report that it should be ensured that the services of all the employees trained in Hindi typing/Hindi stenography are fully utilised.
2. In the perspective of the above recommendation of the Committee, all Ministries/Departments are requested to encourage the employees/Officers trained in Devanagri typing and stenography to do the work in Hindi and ensure the availability of Devanagri typewriters, relevant reference literature, etc. to these persons.

(9) Extracts from O.M. No. 13035/3/88-O.L. (C) dated 5th April, 1989 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language regarding creation of Hindi posts.

The norms relating to the minimum number of Hindi posts have been reconsidered to further rationalize them so that the creation of unnecessary posts is avoided without adversely affecting the implementation of Official Language policy and at the same time facilitating the creation of necessary posts.

(10) Extracts from O.M. No. 13017/3/90-O.L. (C) dated 26th November, 1990 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language in the field of law, original drafting should be done in Hindi and forms should be prepared bilingualy.

(A) The committee has recommended that arrangements should be made for getting all the forms pertaining to Contracts, Agreements,Licences,Permits,Notices & Tenders covered by sub-section 3(3)(iii) of the OL Act translated into Hindi & printed in bilingual form as early as possible so that these could be issued and made use of both in Hindi and English.

2. All Ministries/Departments are requested to ensure action as above.

(B) The Committee of Parliament of Official Language has recommended that in the field of law, original-drafting should be done in Hindi so that laws enacted in Hindi are interpreted in Hindi and decisions written in Hindi.

(11) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 17.07.1992 के ज्ञा. सं.20034/53/92-रा.भा.(अ.वि.) से उद्धरण - केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में सहायक/ संदर्भ साहित्य, शब्दावलियों और शब्दकोशों आदि की व्यवस्था तथा हिन्दी पुस्तकों की खरीद ।

1. संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के चतुर्थ खण्ड में सिफारिश की है कि हिंदी में काम करने का वातावरण बनाने व राजभाषा हिंदी में मूल काम करने को सुकर बनाने के लिए सहायक हिंदी पुस्तकों जैसे-अंग्रेजी-हिंदी और हिंदी-अंग्रेजी शब्दकोष, सहायक और संदर्भ साहित्य,तकनीकी शब्दावलियां,तकनीकी साहित्य,ललित साहित्य आदि का पूरा प्रचार किया जाए और इनका नि:शुल्क वितरण भी किया जाए। साथ ही पुस्तकों की खरीद के लिए नियत कुल धनराशि का 50% हिंदी में प्रकाशित पुस्तकें खरीदने के लिए खर्च किया जाए। राजभाषा विभाग द्वारा इस प्रकार की हिंदी की उपयोगी पुस्तकों का पता लगाने की प्रक्रिया निरंतर चलाई जानी चाहिए और उनकी सूची उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि उनके अनुसार अपने पुस्तकालयों के लिए हिन्दी पुस्तकें खरीद सकें ।
2. संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में कृपया उपर्युक्त आदेशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए और की गई कार्रवाई की सूचना राजभाषा विभाग को भी भिजवाई जाए ।

(12) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 16 फरवरी, 1988 के का. ज्ञा. सं. 14012/6/87-रा.भा.(ग) से उद्धरण - अधीनस्थ सेवाओं और गैर-तकनीकी पदों की भर्ती परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी का ऐच्छिक प्रयोग ।

1. इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि 'ख' क्षेत्र अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्यों में तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालय तथा केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन या स्वामित्व वाले सभी सरकारी उपक्रमों, बैंकों आदि की सेवाओं में और पदों पर सीधी भर्ती के लिए क्षेत्रीय या स्थानीय आधार पर ली जाने वाली सभी परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी के ऐच्छिक प्रयोग की अनुमति उसी प्रकार से दी जाए जिस प्रकार 6 फरवरी, 1976 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार क क्षेत्र में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों के लिए दी जा रही है ।
2. केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों से अनुरोध है कि इस निर्णय को अपने सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के तथा सरकारी उपक्रमों, बैंकों आदि के ध्यान में ला दें और इसका अनुपालन सुनिश्चित करें ।

(13) राजभाषा विभाग,गृह मंत्रालय के दिनांक 02.06.1992 के ज्ञा.सं.13034/37/97-रा.भा.(ग) से उद्धरण-भर्ती के लिए साक्षात्कार में हिंदी का विकल्प ।

1. संसदीय राजभाषा समिति ने सिफारिश की है कि भर्ती संबंधी विज्ञापनों, विवरण-पत्रों व साक्षात्कारों के लिए उम्मीदवारों को भेजे जाने वाले निमंत्रण पत्र हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हों व उनमें न केवल यह विशेष रूप से स्पष्ट किया जाए कि उम्मीदवार साक्षात्कार में हिंदी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग अपनी इच्छानुसार कर सकता है बल्कि उसे लिखित रूप में यह सूचना देने के लिए भी कहा जाये कि वह किस भाषा का माध्यम अपनाना चाहता है ताकि चयन बोर्ड द्वारा उसका साक्षात्कार उसी भाषा में लिया जाए। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि साक्षात्कार लेने वाले चयन बोर्ड का गठन इस प्रकार किया जाए कि उसके सदस्यों को हिंदी का भी ज्ञान हो।

(11) Extracts from O.M.No 20034/53/92-O.L.(R&A) dt. 17.07.1992 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language regarding arrangements for help/reference literature, glossaries and dictionaries, etc. and purchase of Hindi Books in the Central Government Offices.

1. The Committee of Parliament on Official Language has recommended in its Report (Part IV) that in order to create a conducive atmosphere for working in Hindi and to facilitate original work in Hindi, books such as English-Hindi, Hindi-English dictionaries, help and reference-Literature, technical glossaries, Technical Literature and fine-arts literature should be widely publicized and distributed free of cost. Besides, fifty per-cent of the total grant, earmarked for purchase of books should be utilized for purchase of books published in Hindi. The process of identifying useful books in Hindi should be continuously carried out by the Department of Official Language and a list thereof should be made available to all the Ministries/Departments/Offices so that they are able to purchase Hindi books for their libraries conforming to the list.
2. In pursuance of the recommendations of the Committee of Parliament on Official Language compliance of the above orders should please be ensured in toto and the action taken be intimated to the Department of Official Language.

(12) Extracts from O.M. No.14012/6/87-O.L. (C) dated 16th February, 1988 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language regarding optional use of Hindi as medium of examinations for recruitment to the subordinate services and non-technical posts.

1. After considering various aspects of this matter, it has now been decided that the optional use of Hindi be permitted in the examinations conducted on regional or local basis for direct recruitments to the services and posts of the subordinate offices of the Central Government and undertakings, banks etc. owned or controlled by the Central Govt. located in 'B' region viz the States of Gujarat, Maharashtra & Punjab and the Union Territory of Chandigarh, in the same way as is allowed for subordinate offices in Region 'A' vide OM dated 06.01. 1976.
2. All the Ministries and Departments of the Central Government are requested to bring this decision to the notice of all their attached and subordinate offices and undertakings, banks etc. and ensure its implementation.

(13) Extracts from Ministry of Home Affairs, Department of OL's OM No.13034/37/97-O.L(C) dt. 02.06.1992 regarding option of Hindi in interviews for recruitments.

1. The Committee of Parliament on Official Language has recommended that advertisements for recruitment, bio-data forms and call-letters for interviews to be sent to the candidates should be both in Hindi and English and in these communications, not only it should be specifically made clear to the candidates that they can opt for either Hindi or English in the interview, but he should also be asked to intimate in writing the language in which he would like to be interviewed so that the Selection Board might interview him in that language. The Committee has also recommended that the interview boards should also be so constituted that the members of the Board should have knowledge of Hindi.

2. सभी मंत्रालयों/ विभागों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त पैरा दो व पैरा तीन में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के ध्यान में उपरोक्त निर्देश लाएं तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी करें ।

(14) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *21* जुलाई, *1992* के का. ज्ञा. सं. *12024/2/92*-रा.भा. *(ख-2-3)* से उद्धरण - राजभाषा कार्यान्यन समितियों का गठन एवं उनकी बैठकें ।

1. संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट के चतुर्थ खण्ड में यह सिफारिश की है कि प्रत्येक छोटे-बड़े कार्यालय में, चाहे उनमें कार्यरत स्टॉफ की सं० 25 से अधिक हो या कम, अनिवार्य रूप में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जाए और कार्यालयाध्यक्ष को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाए ।
2. समिति की उक्त सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपर्युक्त जानकारी अनुपालनार्थ अपने सभी सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों/निगमों आदि के ध्यान में ला दें। सभी मंत्रालयों/विभागों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि अपने यहां व अपने सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों आदि में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की वर्ष में 4 बैठकों (हर तिमाही में 1) का नियमित रूप से आयोजन सुनिश्चित करायें ।

(15) रा०भा०विभाग, गृह मंत्रालय के ज्ञा०12027/2/79-राभा(ख-1)दि.03.09.1979 से उद्धरण-नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के कार्यों का विस्तार

1. गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के तारीख *22* नवम्बर, *1976* के का. ज्ञा. सं. *1/14011/12/76*-रा.भा. *(क-1)* के अधीन ये निदेश जारी किए गए थे कि उन सभी नगरों में जहां केन्द्रीय सरकार के *10* या इससे अधिक कार्यालय हैं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई जाए। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में हिन्दी प्रशिक्षण, हिन्दी टाइपराइटिंग तथा हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण, देवनागरी लिपि के टाइपराइटरों की उपलब्धि आदि के संबंध में अनुभव होने वाली सामान्य कठिनाईयों के बारे में चर्चा की जाती है और नगर के विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए जो उपाय किए गए हैं उनसे भी परस्पर लाभ उठाया जाता है। प्रारंभ में ये समितियां हिन्दी भाषी क्षेत्रों तथा गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब के नगरों में बनाई गई हैं।
2. ऐसा देखा गया है कि समितियों की बैठकें तो वर्ष में एक से अधिक बार की जाती हैं, लेकिन कई नगरों में इनकी बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रही हैं। यह निर्णय किया गया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य रखी जाएं।
3. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के मुख्यतः निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :-
    1. राजभाषा अधिनियम/नियम और सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों और हिन्दी के प्रयोग से संबंधित वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा;
    2. नगर के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में किए जाने वाले उपायों पर विचार;
    3. हिन्दी के संदर्भ साहित्य, टाइपराइटरों, टाइपिस्टों, आशुलिपिकों आदि की उपलब्धि की समीक्षा;
    4. हिन्दी, हिन्दी की टाइपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण से संबंधित समस्याओं पर विचार ।

2. All the Ministries/Departments are requested that they should ensure action according to the instructions in paras 2 and 3 above and they should also bring these instructions to the notice of their attached/subordinate offices and instructions to ensure their compliance.

(14) Extracts from O.M. No.12024/2/92-O.L. (B-2-3) dated 21st July, 1992 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language regarding constitution of the Official Language Implementation Committee and their meetings.

1. Committee of Parliament on Official Language in the fourth part of its Report has recommended that Official Language Implementation Committee essentially, be constituted in all the big or small offices irrespective of the fact whether the number of staff working therein is more or less than 25 and the Head of the Office be nominated as its Chairman.
2. In the perspective of the above recommendations all the Ministries/Departments are requested to bring the above information to the notice of all attached/subordinate offices/corporations etc. for compliance. However, all the Ministries/Departments are also required to ensure convening invariably four meetings of the Official Language Implementation Committee regularly, (one in each quarter), during a year in their Ministries/Departments as well as in all their attached and subordinate offices etc.

(15) Extracts from O.M. No. 12027/2/79-O.L. (B-1) dated 3rd September, 1979 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language regarding widening the functions of the Town Official Language Implementation Committees.

1. Instructions were issued vide the Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) OM No. 1/14011/12/76-O.L. (A-1) dated 22.11.1976 that Town Official Language Implementation Committees may be set up in the towns having ten or more Central Government Offices. The Town Official Language Implementation Committees discuss in their meetings the common difficulties felt in the teaching of Hindi, training in Hindi stenography & Hindi typewriting, the availability of Devnagri typewriters etc.The information given in the meeting regarding the measures adopted for the progressive use of Hindi in the various Offices in the town mutually benefit the participants. Initially these Committees have been constructed in the towns located in Hindi speaking areas and in Gujrat, Maharashtra & Punjab.
2. It has been observed that while some of the Committees are active & hold their meetings more than once a year certain others don't hold their meetings regularly.It has been decided that meetings of the Town Official Language Implementation Committees should be held twice a year.
3. The functions of the Town Official Language Implementation Committee would mainly be as follows:-

(1) Review of the postion regarding implementation of the Official Languages Act/Rules and the orders issued by the Governement of India regarding the use of Hindi in official work and of the Annual Programme prepared in that regard.

(2) Consideration of the measures for increasing the pace of Hindi in offices of the Central Government located in the town.

(3) Review of the position in regard to the availability of reference literature in Hindi, Hindi typewriters, typists and stenographers, etc.

(4) Consideration of the problems relating to Hindi, training in Hindi typewriting and Hindi stenography.

(16) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *28* मई, *1993* के का. ज्ञा. सं. *20034/53/93*-रा.भा. *(*अ.वि.*)* से उद्धरण - हिन्दी कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/सम्मेलनों तथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन ।

राजभाषा अधिनियम, *1963* की धारा *4* के अनुसरण में गठित संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खण्ड-*4* के अन्तर्गत उपर्युक्त विषय पर निम्नलिखित संस्तुतियां की गई हैं :-

(क) अधिकारियों/ कर्मचारियों की मनोवृत्ति बदलने हेतु और उन्हें राजभाषा-नीति की व्यापक जानकारी कराने हेतु समय-समय पर संगोष्ठियां, सम्मेलन, कार्यशालाएं आदि आयोजित की जायें।

(ख) प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग वर्ष में एक बार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित करें । इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों/बैंकों/संस्थानों आदि से अनुरोध है कि वे संसदीय राजभाषा समिति द्वारा की गई उक्त संस्तुतियों पर अनुपालनात्मक कार्रवाई करें।

(17) राजभाषा विभाग,गृह मंत्रालय के दिनांक 20.04.1992 के ज्ञा.सं.14025/2/91-रा.भा.(घ) से उद्धरण- हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित करना

1. उपर्युक्त विषय पर संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन (खण्ड-4) में यह सिफारिश की है कि उनके प्रतिवेदन के तीसरे खण्ड में इस संदर्भ में की गई सिफारिशों के अनुरूप अगले पांच वर्षों के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में काम करने की झिझक दूर करने हेतु नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए व ऐसी कार्यशालाओं में हिंदी जानने वाले प्रत्येक कर्मचारी को वर्ष में कम से कम एक बार इनमें भाग लेकर हिंदी में मूल रूप में काम करने के अभ्यास का अवसर मिले।
2. सभी मंत्रालयों/ विभागों से अनुरोध है कि संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन *(खण्ड-4)* में इस संदर्भ में की गई सिफारिश के अनुसरण में राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक *31.12.1991* में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें । कृपया इसकी जानकारी अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/नियंत्रणाधीन निगमों/निकायों को भी दें तथा इससे संबंधित प्रगति राजभाषा विभाग को भी दी जाये।

(18) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 17.07.1992 के का.ज्ञा. सं.20034/53/92-रा.भा.(अ.वि.) से उद्धरण - सरकारी प्रकाशनों आदि का द्विभाषी रूप में प्रकाशन ।

1. राजभाषा अधिनियम, *1963* की धारा *4* के अनुसरण में गठित संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन *(खण्ड-4)* में उपर्युक्त विषय में निम्नलिखित संस्तुति की गई है :- भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/संगठनों आदि द्वारा केवल अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि द्विभाषी रूप में भी प्रकाशन निकाले जाएं । हिन्दी प्रकाशनों की मुद्रित संख्या अंग्रेजी प्रकाशनों की तुलना में कम न हो और द्विभाषिक प्रकाशनों में हिन्दी के पृष्ठों की संख्या अंग्रेजी के पृष्ठों की संख्या से कम न हो और हिन्दी में नए मौलिक प्रकाशन निकाले जायें ।
2. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 में दिए गए प्रावधान के अनुसार प्रक्रिया संबंधी सभी साहित्य हिंदी व अंग्रेजी में द्विभाषी (डिग्लाट) रूप में यथास्थिति मुद्रित, साइक्लोस्टाइल और प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त राजभाषा अधिनियम, *1963 (*यथा संशोधित *1967)* की धारा *3 (3)* में प्रावधान है कि सभी प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही निकाले जाएं ।

(16) Extracts from O.M. No. 20034/53/93-O.L. (R&A) dt. 28th May, 1993 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language regarding organizing Hindi Workshops/Seminars/Conferences and All India Official Language Conferences.

The Committee of Parliament on Official Language constituted in pursuance of Section 4 of Official Language Act, 1963 have made the following recommendations in their Report (Vol. IV) on the subject mentioned above :-

(A) Seminars, Conferences, Workshops, etc. may be organized from time to time for bringing out a change in the attitude of the Officers/Employees and for imparting them comprehensive knowledge regarding the Official Language Policy.

(B) All the Ministries/Departments may organize All India Official Language Conference once in a year. In this context, it is requested that all the Ministries/Departments/ Offices/Undertakings/Corporations /Banks/Institutions of the Government of India should comply with the recommendations made by the Committee of Parliament on Official Language.

(17) Extracts from OM No.14025/2/91-OL(D) dated 20.04.1992 of Ministry of Home Affairs, Department of OLregarding organizing Hindi Workshops.

1. On the subject mentioned above, the Committee of Parliament on Official Language in its Report (Part-IV) has recommended that Hindi workshop should be organized regularly during the next 5 year in the context of recommendations made in Part-III of their report so that the officers/employees could overcome their hesitation of doing work in Hindi and every Hindi knowing employee could participate in these workshops at least once in a year and could get an opportunity for the practice of doing work originally in Hindi.
2. All the Ministries/Departments are requested to ensure the implementation of the directions given in the Department of Official Language Office Memorandum dated 31.12.1991 with reference to the recommendations of the Committee of Parliament of Official Language made in its report (Part-IV). This information may also be given to all the attached/subordinate offices/Corporations/Bodies under your control and the Department of Official Language may be informed about the progress made in this regard.

(18) Extracts from O.M. No. 20034/53/92-O.L. (R&A) dated 17th July, 1992 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language regarding publication of the Govt. publication etc. in bilingual form.

1. The Committee of Parliament on Official Language constituted in pursuance of Section 4 of the Official Languages Act, 1963, have made the following recommendation in their Report (Part IV) on the above subject:-
"The Ministries/Departments/Organisations etc. of the Govt. of India should not bring out publications in English alone but only in bilingual form. The number of printed Hindi publications should not be in any way, less than the English ones and in the bilingual publications, the number of pages for Hindi should not be less than that of English and new original publications may be brought out in Hindi."
2. In this regard it is mentioned that according to the provision of Rule –11 of the Official Language Rules, 1976 all procedural literature is required to be printed, cyclostyled and published as the case may be both in Hindi and English in diglot form. Besides, under the provision of

Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 (as amended 1967), all administrative and other reports should be brought out positively in both Hindi and English.

3. इस परिप्रेक्ष्य में कृपया संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुति पर किए गए निर्णय का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और आवश्यक जांच बिन्दु भी निश्चित कर दिए जाएं ताकि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित प्रकाशन डिग्लाट फार्म में ही छपें और अन्य कोई भी प्रकाशन न तो केवल अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाए और न ही उसके हिन्दी रूप की मुद्रण संख्या अंग्रेजी रूप की मुद्रण संख्या से कम हो । ये आदेश कृपया अपने सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों और आयोगों आदि को अनुपालन के लिए पृष्ठांकित कर दिए जाएं और इसकी जानकारी इस विभाग को भी भिजवाने की व्यवस्था की जाए ।

(19) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 17.07.1996 के का. ज्ञा. सं. टी/*14011/1/96*-रा.भा.*(नी.-1)* से उद्धरण - गृह पत्रिकाओं/ सूचना पत्रों को और अधिक उपयोगी तथा प्रभावशाली बनाना ।

1. उपर्युक्त विषय पर विचार करने के उपरांत अब यह निर्णय लिया गया है कि जहां पत्रिकाओं को केवल अंग्रेजी में छपवाया जा रहा है वहां यह आवश्यक होगा कि गृह पत्रिकाएं और सूचना-पत्र द्विभाषी (हिन्दी अंग्रेजी) रूप में छपवाएं जायें । द्विभाषी गृह पत्रिकाओं और सूचना-पत्रों में हिन्दी व अंग्रेजी के पृष्ठों की संख्या बराबर होनी चाहिए और ये एक ही जिल्द में, एक ही नाम से, छापे जाने चाहिये । जिल्द के शीर्ष व डिजाइन द्विभाषी होने चाहिए । इनमें संगठन के कार्य संबंधी लेखन तथा सूचनाएं दोनों ही भाषाओं में छापी जानी चाहिये ।

2. ऐसे क्षेत्रों में जहां हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त स्थानीय भाषाओं का प्रचलन अधिक है, वहां से पत्रिकाएं त्रिभाषी रूप में छापी जा सकती हैं । त्रिभाषी पत्रिकाएं भी एक ही जिल्द में छापी जाएं तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके शीर्ष व डिजाइन त्रिभाषी हों तथा तीनों भाषाओं *(क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी तथा अंग्रेजी)* में मुद्रित पृष्ठों की संख्या लगभग बराबर हो ।

(20) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *26.08.92* के का.ज्ञा. सं. *14034/4/92*-रा.भा. *(क-1)* से उद्धरण - टेलीफोन निर्देशिकाओं को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित करने की अनिवार्यता ।

दूरसंचार विभाग द्वारा प्रकाशित की जाने वाली टेलीफोन निर्देशिकाओं के हिन्दी संस्करण भी अनिवार्य रूप से साथ ही प्रकाशित किए जाएं । विभिन्न नगरों के दूरसंचार कार्यालय क और ख क्षेत्रों में टेलीफोन निर्देशिकाओं के हिन्दी संस्करण अंग्रेजी संस्करणों से पहले जारी करें । एक कूपन, जैसा कि अब लगाया जाता है, वैसा ही अलग रंग के कागज में, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, तैयार करके निर्देशिका के दोनों रूपों में लगाया जाए, जिससे यह पूछा जाए कि उपभोक्ता अगली टेलीफोन डाइरेक्टरी हिन्दी में अथवा अंग्रेजी में प्राप्त करना चाहेगा । क और ख क्षेत्रों में प्रारंभ से ही दोनों संस्करण समान संख्या में अथवा हिन्दी *:* अंग्रेजी *40 : 60* के अनुपात में प्रकाशित किए जाएं और ग क्षेत्र में प्रारंभ में हिन्दी *:* अंग्रेजी *30 : 70* के अनुपात में प्रकाशित किए जाएं *(*और बाद में आवश्यकता के अनुसार ग क्षेत्र में भी दोनों संस्करणों की संख्याएँ समान की जा सकती हैं ।*)*

3. In this context it may kindly be ensured that the decision taken on the recommendation of the Committee of Parliament on Official Language is fully complied with and required check-points be devised so that publications mentioned under Section 3(3) of the O.L. Act are published in diglot form only and any other publication is neither published in English alone, nor the number of copies of the Hindi version is less than that of English one. These orders may kindly be endorsed to all the attached/subordinate offices, Undertakings, Corporations and Commissions etc. for compliance and this Department may also be apprised of the action taken in this regard.

(19) Extracts from O.M. No. T/14011/1/96-O.L. (Policy-I) dated 17th July, 1996 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language regarding making house magazine/news-letters more useful and effective.

1. After due consideration on the subject mentioned above it has now been decided that wherever house-magazine and news-letters are published only in English, it will be obligatory to publish these bilingually (in Hindi and English). Bilingual house-magazines/News-letters should have equal allocation of pages for the two languages and they should be brought out in one single cover and name. The design of the cover-page should also be bilingual. In these publications, information including information regarding the working of the organizations/offices, should be published in both the languages uniformly.
2. In areas, where regional Languages are also being used besides Hindi and English, the magazines may also be brought out trilingually. The trilingual magazines should also be brought out under a single cover and should be ensured that their cover designs are trilingual and that printed pages, in all the three languages (Regional Language, Hindi and English) are more or less equal.

(20) Extracts from O.M. No. 14034/4/92-O.L. (A-I) dated 26.8.1992 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language regarding obligatory publication of telephone directories in Hindi and English

It is obligatory that Department of Telecommunications publish Hindi and English versions of telephone directories simultaneously. Telephone offices in different cities in regions 'A' and 'B' should publish Hindi versions of telephone directories before the publication of English versions. A coupon, as it is affixed at present, on a separate paper in different colour, both in Hindi and English languages may be prepared and affixed on both the versions of the directory, wherein it may be asked whether the subscriber would like to obtain the next telephone directory in Hindi or English. From the very beginning in regions 'A' and 'B', both the versions are published in equal numbers or in

the ratio of 40 : 60 in Hindi and English and in the ratio of 30 : 70 in region 'C' in the beginning (later on, according to needs, in region 'C', the number for both the versions may be made equal).

(21) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 24 अप्रैल, 1978 के का. ज्ञा. सं. टी/20034/1/78-रा.भा0(क-1) से उद्धरण - संसदीय राजभाषा समिति को प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री की समीक्षा और कमियां दूर करना ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अधीन गठित संसदीय राजभाषा समिति की उपसमितियों द्वारा निरीक्षण के दौरान समिति की प्रश्नावली के उत्तर में संबंद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना संबंधित मंत्रालय/विभाग उस कार्यालय से मंगवाकर उसकी स्वयं की समीक्षा करे और कमियां दूर करने के लिए कदम उठाए जाएं । उप-समिति के द्वारा कार्यालयों के निरीक्षणों के समय मंत्रालय/विभाग के प्रतिनिधि को वहां उपस्थित रहना चाहिये जिससे कमियां दूर करने के लिए कार्रवाई की जा सके ।

(22) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक *16.12.2004* के का. ज्ञा. सं. *12015/101/2004*-रा.भा.*(तक)* से उद्धरण - सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को इंटरनेट के माध्यम से हिन्दी प्रशिक्षण दिलाने के बारे में ।

1. संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खण्ड-6 की संस्तुति संख्या 11.10.28 : सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण के लिए विशेष वीडियो/आडियो कैसेट भी तैयार करवाई जा सकती है ।
2. आदेश : समिति की यह सिफारिश स्वीकार्य है । इंटरनेट के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाये । राजभाषा विभाग समुचित कार्यवाही करे ।
3. राजभाषा विभाग के पोर्टल पर प्राज्ञ स्तर तक नि:शुल्क स्वयं शिक्षण पाठ्यक्रम लीला हिन्दी प्रबोध, लीला हिन्दी प्रवीण एवं लीला हिन्दी प्राज्ञ अंग्रेजी, कन्नड़, मलयालम, तमिल एवं तेलुगू माध्यम से उपलब्ध हैं । राजभाषा विभाग के पोर्टल का पता है www.rajbhasha.nic.in है।
4. निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से यह अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण दिलायें ।

(21) Extracts from O.M. No. T/20034/1/78-O.L. (A-I) dt. 24th April, 1978 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language regarding review of the material submitted to the Committee of Parliament on Official Language and removing the deficiencies.

Ministries and Department should obtain from their respective attached and subordinate offices, a copy of the information furnished during inspection, by those offices in reply to the questionnaire of the Committee of Parliament on Official Language set up under Section 4 of O.L. Act, 1963 and they should also examine it themselves and take necessary steps to remove the deficiencies. At the time of inspection of the offices by the sub-Committee the representative of the Ministry/Department concerned should also be present so that action could be taken to remove the deficiencies.

(22) Extracts from O.M No. 12015/101/2004-O.L.(Tech.) dated 16.12.2004 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language regarding providing Hindi Training to the Govt. officers and employees through Internet.

1. Recommendation No. 11.10.28 of the part VI of Report of the Committee of Parliament on Official Language : There is a need to increase Hindi training facilities for Govt. officers/employees. Special video/audio cassettes may also be developed for training.
2. Order : "This recommendation of the Committee has been accepted. Free of cost training through Internet may be arranged. Department of Official Language may take an appropriate action in this regard."
3. Material for self study of Pragya level on "Lila Hindi Prabodh", "Lila Hindi Parveen" "Lila Hindi Pragya" through English, Kannada, Malayalam, Tamil and Telegu medium, is available free of cost on the portal of Department of Official Language. The address of Department of Official Language portal is **www.rajbhasha.nic.in**.
4. In view of this decision all Ministries/Departments, etc. are requested to impart Hindi Training to all the officers/employees.

अपनी मानसिक शांति के लिए - "छोड़ दें"

प्रमोद कुमार शर्मा
उच्च श्रेणी लिपिक, आगरा

1. **किसी भी व्यक्ति को एक या दो बार समझाने का प्रयास करें, यदि वह आश्वस्त होने से इंकार करे - कहना, छोड़ दें ।**
2. **आपकी फ्रीक्वेन्सी जीवन में हर किसी से मेल नहीं खाती, यदि आप किसी से नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोशिश करना, छोड़ दें।**
3. **जब बच्चे बड़े हो जाएं और अपने फैसले स्वयं लेना शुरु कर दें तो बात बात पर उन पर - अपने फैसले थोपना छोड़ दें ।**
4. **जब आपको महसूस हो कि कुछ भी आपके हाथ में नहीं है तो चिन्ता करना और दूसरों की राय के बारे में - सोचना छोड़ दें ।**
5. **जब आपकी विश लिस्ट और आपकी क्षमताओं के मध्य का अन्तर काफी बढ़ जाए - स्वयं से अपेक्षाएं रखना, छोड़ दें ।**
6. **हर किसी के जीवन का मार्ग, परिस्थिति, नज़रिया अलग अलग होता है - तुलना करना, छोड़ दें ।**
7. **जब जीवन ने आपको अनुभव का इतना अद्भुत खजाना दिया है - अपनी दैनिक कमाई गिनना, छोड़ दें ।**
8. **यदि कोई बेवजह आपकी आलोचना करता है, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रख, उन बातों को - दिल से लगाना, छोड़ दें ।**

हिंदी पखवाड़ा 2023 के अवसर पर आयोजित अन्तरकार्यालयीन निबन्ध प्रतियोगिता
विषय : "बसेरा आपका - गाँव या महानगर" - प्रथम पुरस्कृत निबन्ध

श्रावणी गांगुली
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, पेसो, आगरा

"बसेरा", स्वयं में एक सुखद अनुभूति देने वाला शब्द है । बसेरा अर्थात् वह स्थान जो भले ही छोटा हो, जहाँ ऐशोआराम की सुविधाएं भले ही कम हों परन्तु सिर के ऊपर, शांति और सुकून देने वाली छत हो । जहाँ अपने और अपनों के साथ खुशहाल माहौल में समय व्यतीत किया जा सके । दिन भर की मेहनत मशक्कत के बाद हमारे कदम, जहाँ लौटने के लिए स्वयं ही आतुर हों । जहाँ, दिन भर की थकान उतारने के लिए एक ही नींद काफी हो और जहाँ नींद के इंतज़ार में हमें करवटें न बदलते रहना पड़े वरन् लेटते ही हम निश्चिंत होकर नींद के आगोश में खो जाएं ।

इन सभी खूबियों से युक्त बसेरा निश्चित रूप से सभी का स्वप्न होगा और कमोबेश अपनी हैसियत के अनुरूप सभी अपना एक बसेरा तैयार करने का प्रयास करते हैं और काफी हद तक सफल भी होते हैं । अब प्रश्न यह उठता हैं कि अपने बसेरे के लिए हम किसे प्राथमिकता देना चाहेंगे - गाँव या महानगर ।

आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, सुविधाओं की दृष्टि से देखा जाए तो गाँवों में भी काफी विकास हुए हैं एवं निरन्तर हो रहे हैं और बिलजी, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा आदि अनेक सुविधाएं गाँवों में भी उपलब्ध कराने की वजह से ग्राम्य जीवन का स्तर भी पहले की अपेक्षा काफी बेहतर हुआ है । भले ही कुछ मामलों में महानगरीय जीवन की अपेक्षा गाँव आज भी कुछ पिछड़े हुए हैं परन्तु यदि बसेरा बनाने के लिए विकल्प के रूप में गाँव या महानगर के मध्य प्राथमिकता तय करनी हो तो मेरी प्राथमिकता गाँव ही होगी और निश्चित रूप से उसके वाजिब कारण भी हैं -

1- <u>गाँवों का सादगीपूर्ण जीवन</u>

महानगरीय जीवन अधिक सुविधायुक्त होने के साथ साथ जटिलताओं से भी भरा हुआ है । आधुनिकता ओड़ने की आड़ में लोग कब आपसी प्रतिस्पर्धा में भी शामिल हो जा रहे हैं, वह खुद भी नहीं जान पा रहे । यह प्रतिस्पर्धा भरा जीवन तमाम

तकलीफों, मानसिक तनावों एवं अन्ततः शारीरिक व मानसिक चुनौतियों के रूप में सामने आ रही हैं, जिनसे जीवन पर्यन्त जूझना मबजूरी बन पड़ती है ।

वहीं दूसरी ओर गाँवों में सुविधाओं का उपलब्ध होना, गाँवों का विकास होना, ग्रामीण लोगों के लिए निश्चित रूप से हर्ष का विषय है परन्तु वह अपनी जड़ों से जुड़े रहकर ही उसे अंगीकृत करते हैं । प्रतिस्पर्धा से कोसों दूर, सादगी भरा जीवन एवं आपसी सौहार्द्र आज भी उनकी पहचान है एवं ऐसे ही लोगों के मध्य रहना मेरी प्राथमिकता होगी ।

2- <u>गाँवों में संयुक्त परिवारों का होना बच्चों के संस्कारी होने और चहुँमुखी विकास में सहयोगी</u>

महानगरीय जीवनशैली के अनुकरण की बाध्यता में बच्चों का सिमटता बचपन एक चिंतनीय विषय बनकर उभरा है । माता पिता दोनों का नौकरी पेशा होना महानगर में जीवन यापन करने के लिए उनका शौक होने के साथ साथ अब बाध्यता भी है । महानगरों में एकल परिवार का बढ़ता चलन, माता पिता दोनों के नौकरी पेशा होने के कारण बच्चों का परिवार में अकेले रहना, जहाँ बच्चों को सामाजिक एवं पारिवारिक मूल्यों की जानकारी से दूर रख रहा है, वहीं आग में घी का काम कर रहा है उनके हाथों में मोबाइल फोन का होना होना, जो अब शौक कम और परिस्थितिवश अनिवार्यता अधिक बन गया है । मोबाइल फोन का अनवरत प्रयोग जहाँ बच्चों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास में बाधा बन रही है वहीं दूसरी ओर बच्चों को दिग्भ्रमित भी कर रही है।

गाँवों में आज भी संयुक्त परिवार का चलन कायम है । घर में दादा-दादी, नाना-नानी और बुजुर्गों का होना बच्चों के लिए वरदान से कम नहीं है । जहाँ एक ओर पारिवारिक रीतिरिवाज, संस्कार, व्यावहारिकता, छोटे बड़ों का यथायोग्य सम्मान, कहानियों किस्सों एवं अपने अनुभवों के माध्यम से बुजुर्गों द्वारा दी जाने वाली सीख, बच्चों के चहुँमुखी विकास में सहायक होती है, वहीं दूसरी ओर बच्चों को अपने दादा-दादी, नाना-नानी की छत्र छाया में छोड़ना बच्चों के माता-पिता के लिए एक बहुत बड़ी निश्चिन्तता होती है । ऐसा नहीं कि गाँवों में बच्चे मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करते परन्तु संयुक्त परिवार में रहकर वह महानगरीय बच्चों की अपेक्षा मोबाइल का कम प्रयोग करते हैं एवं बड़ों की निगरानी में रहने से समय समय पर उनको सही एवं गलत का उचित मार्गदर्शन भी मिलता रहता है । इस दृष्टि से भी गाँवों में रहना ही मेरी प्राथमिकता होगी ।

3- <u>गाँवों की हरितिमा, परिवेश और स्वास्थ्य</u>

महानगरों का शोर-शराबा, व्यस्तता एवं आपाधापी भरी जीवनशैली, जनसंख्या की अपेक्षा स्थानाभाव के कारण फ्लैट निर्माण का बढ़ता चलन, फ्लैटों के निर्माण के लिए निरंतर पेड़ों की कटाई, कारखानों की वजह से होने वाला ध्वनि एवं वायु प्रदूषण, बदलती जीवनशैली के साथ खानपान का अनिश्चित समय, प्रदूषित एवं अस्वास्थकर भोजन, वक्त से पहले मनुष्य को वृद्ध एवं रोगग्रसित कर रहे हैं। शारीरिक रोगों के साथ ही यह जीवनशैली - तनाव, अनिद्रा, डिप्रेशन आदि विभिन्न मानसिक रोगों को भी निमंत्रण दे रही है, जो मनुष्य को चिड़चिड़ा बना दे रही है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव पारिवारिक जीवन पर भी पड़ रहा है ।

चहुँ ओर हरियाली आज भी गाँवों की पहचान है । खेतों खलिहानों में समय समय पर अलग अलग फसलों का होना, प्रकृति के धरोहर पेड़-पौधों से सुसज्जित परिवेश, वर्षा ऋतु में बारिश के पानी से नहाए बाग-उपवन एवं भरे हुए ताल-तालाब एवं जलाशय, प्राकृतिक मनोहारी छटा से परिपूर्ण होने के साथ ही मानव हृदय को भी संतृप्त करता है । प्राकृतिक परिवेश में कलरव करते खगवृन्द, निश्चिन्त विचरण करते हुए पशु, ग्रामीण परिवेश को पूर्णता प्रदान करते हैं । ऐसे परिवेश में एक बसेरा होना और नित साँझ सवेरे स्वच्छ वायु में विचरण, प्राकृतिक हरितिमा के दर्शन एवं पशु-पक्षियों के आनन्द में स्वयं को शामिल कर लेने का अवसर ही स्वयं में एक औषधि समान है ।

4- <u>गाँवों का परिवेश बच्चों के सकारात्मक विकास में सहयोगी</u>

किसी के भी जीवन में बचपन का समय, किसी भी चिन्ता से मुक्त, पूर्णतः निर्भय, ऊँच नीच के भेदभाव से परे एवं स्वच्छन्द जीवन यापन का समय होता है । स्कूल और घर दोनों ही जगह सिर्फ पढ़ाई एवं मित्रों के साथ हंसी ठिठोली और खेलकूद, इसके अतिरिक्त बचपन को और किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं होता परन्तु महानगरीय जीवन ने बच्चों का बचपन

पूर्णत: छीन लिया है । पढ़ाई के बोझ, माता पिता की अपेक्षाओं, सर्वोत्कृष्ट होने की चाह में प्रतिस्पर्धा एवं मोबाइल से साथ घरों में कैद हो जाना ही आज के महानगरीय बचपन की नियति सा बन गया है ।

गाँव के बच्चे आज भी अपना बचपन संपूर्णता के साथ जीते हैं । उनका जीवन पढ़ाई और खेलकूद के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता । बच्चे हर ऋतु का आनंद लेते हैं । गाँव में आज भी दूर दूर तक फैले मैदान हैं जहाँ बच्चे सब कुछ भूल, खेल कूद कर अपना समय व्यतीत करते हैं जो उनके मनोरंजन के साथ उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हितकर होते हैं और उनको तनाव से कोसों दूर रखकर उनके सकारात्मक विकास में सहयोग देते हैं ।

5- <u>गाँवों में तीज-त्यौहारों पर उत्सव का सा माहौल</u>

किसी भी परिवर्तन से प्रभावित हुए बिना समय का चक्र निरन्तर निर्बाध गति से चलता रहता है और हर वर्ष अपने अपने निर्धारित समय पर आकर चले जाते हैं सभी पर्व, तीज-त्यौहार । महानगरीय जीवन ने इनके स्वागत को पैसों से आंकना आरम्भ कर दिया है । तीज त्यौहारों को अपने अपनों के साथ मनाने के स्थान पर बढ़-चढ़कर दिखावा करने पर जोर रहता है । महंगे कपड़े खरीदना, सजावट पर पैसे खर्च करके अपनी हैसियत दर्शाना, बाजारों में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न करती भीड़ जुटना आम हो गया है जबकि इन शानो शौकत के गवाह होते हैं घर के सिर्फ तीन या चार सदस्य (एकल परिवार) ।

वहीं गाँवों में आज भी तीज त्यौहार उत्सव की तरह मनाए जाते हैं । कई दिनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, त्यौहारों के अनुरूप मंगल गीत गाए जाते हैं । संयुक्त परिवार होने की वजह से दादा-दादी, नाना-नानी द्वारा किए जा रहे व्यवस्थाओं को आत्मसात करते हुए बच्चों का कौतुहल, त्यौहारों को आस-पड़ोस के लोगों के साथ मनाने की वजह से आपसी सामंजस्य एवं एकता का माहौल, त्यौहारों को उत्सव का रूप प्रदान करता है इसलिए ग्रामीण अंचल के लोग त्यौहारों का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं ।

6- <u>गाँव और सावन - एक अलग रिश्ता</u>

समय चक्र के अनुसार हर ऋतु आती जाती है और महानगर तथा ग्राम, दोनों ही इनको भली भांति अनुभव करते हैं । वर्षा महानगरों में भी होती है तथा ग्राम में भी परन्तु मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह कहता है कि सावन या श्रावण के मास की जो छटा गांव में बिखरती है वह महानगरों में कल्पना तक नहीं की जा सकती है ।

जगह जगह पेड़ो पर झूले पड़ना, मेघाच्छादित आकाश की मधुरिम छटा, वर्षा जल से प्लावित ताल और सरोवर, बारिश की बूंदों से नहाए पेड़ पौधे, सावन के गीतों की धुन, बारिश के थमने पर कीचड़ और जलभराव में उछलकूद और अठखेलियां करते बेसुध नादान बचपन की स्मृतियां मात्र, आज उम्र के इस पड़ाव पर भी मुझे बचपन की ओर खींचे ले जाती हैं ।

हमारे देश के गाँव स्वयं में इतना कुछ संजोए एवं समाए हुए हैं कि उनको शब्दों की सीमा में बाँध पाना मुश्किल है । भले ही आज मैं भी समय और परिस्थिति की मांग के अनुसार शहर में वास कर रही हूँ परन्तु गाँव में कभी-कभार बिताया गया बहुत थोड़ा वक्त भी स्मृतियों में बहुत गहरे बैठा हुआ है । यदि सम्भव हो और परिस्थितियां अनुमति दें तो मेरा बसेरा निश्चित रूप से गाँव में ही होगा ।।

<u>क्या आप जानते हैं कि</u>

<u>योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाते हैं</u>

पंचांग के अनुसार 21 जून को उत्तरी गोलार्द्ध को सबसे लम्बा दिन होता है जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं \ प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ऐसे में आध्यात्मिक सिद्धियों को प्राप्त करने और तन-मन को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिवर्ष 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है ।

दीवार घड़ी

सुप्रिया गांगुली
पुत्री श्रीमती श्रावणी गांगुली
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, आगरा

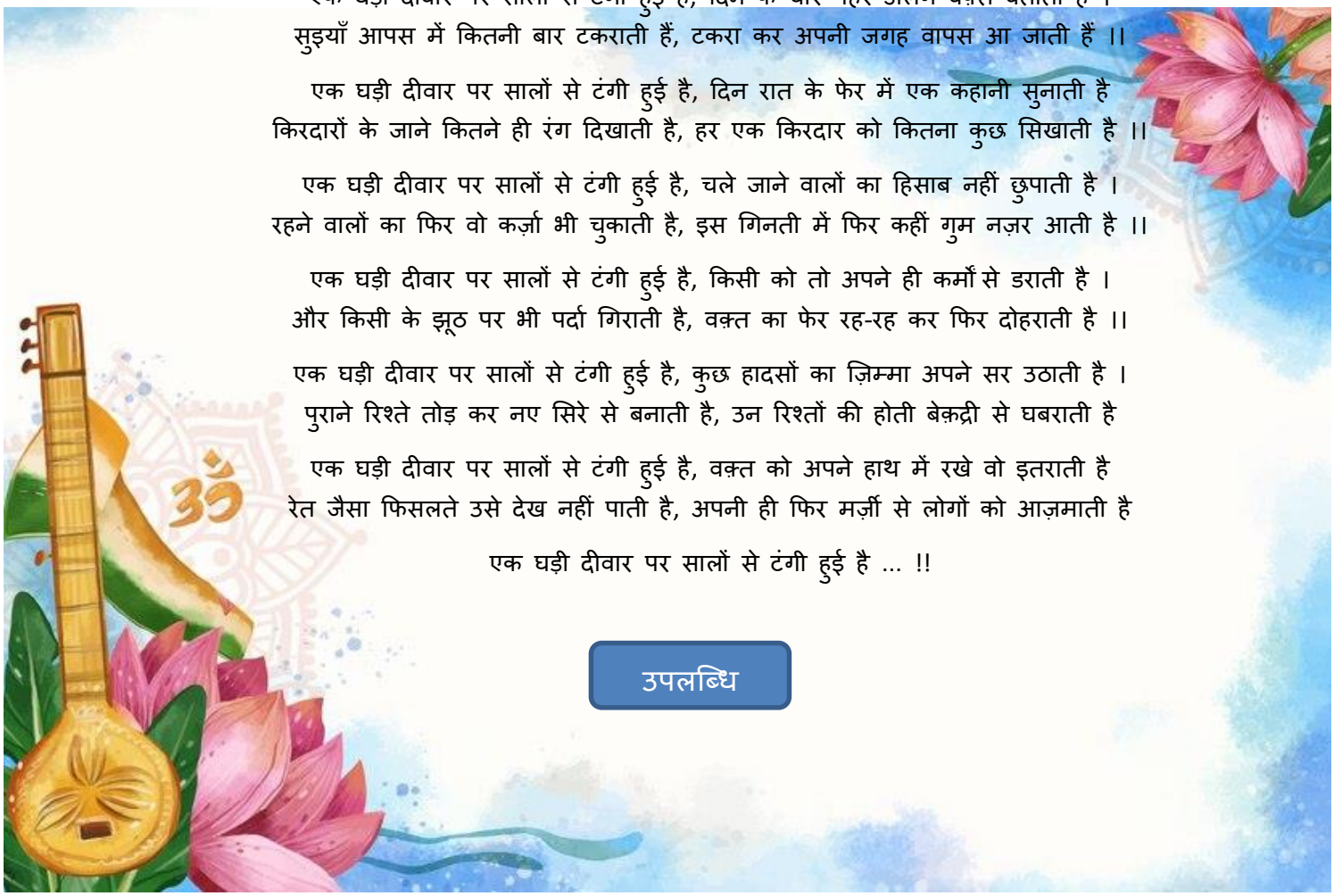

एक घड़ी दीवार पर सालों से टंगी हुई है, दिन के चार पहर अलग वक़्त बताती है ।
सुइयाँ आपस में कितनी बार टकराती हैं, टकरा कर अपनी जगह वापस आ जाती हैं ।।

एक घड़ी दीवार पर सालों से टंगी हुई है, दिन रात के फेर में एक कहानी सुनाती है
किरदारों के जाने कितने ही रंग दिखाती है, हर एक किरदार को कितना कुछ सिखाती है ।।

एक घड़ी दीवार पर सालों से टंगी हुई है, चले जाने वालों का हिसाब नहीं छुपाती है ।
रहने वालों का फिर वो कर्ज़ा भी चुकाती है, इस गिनती में फिर कहीं गुम नज़र आती है ।।

एक घड़ी दीवार पर सालों से टंगी हुई है, किसी को तो अपने ही कर्मों से डराती है ।
और किसी के झूठ पर भी पर्दा गिराती है, वक़्त का फेर रह-रह कर फिर दोहराती है ।।

एक घड़ी दीवार पर सालों से टंगी हुई है, कुछ हादसों का ज़िम्मा अपने सर उठाती है ।
पुराने रिश्ते तोड़ कर नए सिरे से बनाती है, उन रिश्तों की होती बेक़द्री से घबराती है

एक घड़ी दीवार पर सालों से टंगी हुई है, वक़्त को अपने हाथ में रखे वो इतराती है
रेत जैसा फिसलते उसे देख नहीं पाती है, अपनी ही फिर मर्ज़ी से लोगों को आज़माती है

एक घड़ी दीवार पर सालों से टंगी हुई है ... !!

उपलब्धि

आज़ादी का अमृत महोत्सव

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार

गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (के.का),

आयकर भवन, संजय प्लेस, आगरा– 282002

प्रशस्ति–पत्र (छात-प्रतिशत हिन्दी पत्राचार हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष/छमाही/तिमाही 01.07.2022 से 31.12.2022 में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग एवं कार्यान्वयन में कार्या० सं० ग० विस्फोटक नियंत्रक, आगरा का कार्य आगरा नगर स्थित समस्त केन्द्र सरकार के कार्यालयों / ~~निम्नमें~~ / ~~उक्तमें~~ में विशेष स्थान पर रहा। बधाई!

विभाग/संगठन से अपेक्षा की जाती है कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उत्तरोत्तर प्रगति करता रहेगा।

दिनांक : 20.4.2023

प्रधान आयकर आयुक्त–I
अध्यक्ष
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति,
आगरा

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस - 21.06.2023 पर विशेष

डा. डी.एल.काम्बले
विस्फोटक नियंत्रक, आगरा

सभी को नमस्कार,

आज हम यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं । यह एक ऐसा दिन है जो उस प्राचीन प्रथा को समर्पित है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों के बीच सदभाव और कल्याण लाने के लिए सीमाओं को पार कर लिया है । यह एक ऐसा दिन है जब योग को अपनाने के लिए सब एक साथ आ रहे हैं ।

योग, प्राचीन भारत से उत्पन्न केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि एक समग्र अभ्यास है । इसकी मदद से हम मन और आत्मा को शांति की ओर ले जा सकते हैं । योग आंतरिक शांति और व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रशस्त करता है । भारत में ऋषि -मुनि भी खुद को फिट रखने के लिए योग का सहारा लेते थे ।

इस शुभ दिन पर आइए हम इस बात पर चिंतन करें कि योग का दुनिया भर के व्यक्तियों और समुदायों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा है । योग सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे है । यह समावेशिता, स्वीकृति और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है । साथ ही योग हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी मानवता के एक बड़े टेपेस्ट्री का हिस्सा हैं ।

योग के कई दूरगामी लाभ हैं । नियमित अभ्यास से शारीरिक शक्ति, लचीलेपन और संतुलन में सुधार होता है, साथ ही समग्र स्वास्थ्य भी अच्छा होता है । योग, मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है, तनाव को कम करता है और जीवन की चुनौतियों के मध्य आंतरिक शांति की भावना उत्पन्न करता है । योग - ध्यान, आत्म जागरूकता और करुणा को प्रोत्साहित करता है, सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और दूसरों के साथ हमारे संबंधों को पोषण देता है ।

योग दिवस के 9वें संस्करण के मौके पर आइए हम वैश्विक शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने में योग की भूमिका को स्वीकार करें । मैं, आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आज ही नहीं बल्कि हर दिन योग को अपने जीवन में शामिल करें । हर दिन योग करके आप खुद को फिट रखने के साथ स्वस्थ भी रह सकेंगे ।

हिंदी पखवाड़ा 2023 के अवसर पर आयोजित अन्तरकार्यालयीन निबन्ध प्रतियोगिता

विषय : ''बसेरा आपका - गाँव या महानगर'' - द्वितीय पुरस्कृत निबन्ध

भगत सिंह मीना, उच्च श्रेणी लिपिक,
कार्यालय सहायक अभियन्ता,
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, मथुरा

गाँव या महानगर दो ऐसे स्थान हैं, जो हमारे समाज की विविधता को प्रकट करते हैं । गाँव और महानगर के आवास में अनेक भिन्नताएँ होती हैं, जैसे कि जीवन शैली, सामाजिक संरचना और आर्थिक विकास ।

गाँव एक छोटे समुदाय का आवास होता है जहाँ लोग आपसी संबंधों से जुड़े होते हैं । यहां की जीवन शैली सामाजिक सम्बन्धों पर आधारित होती है जबकि महानगर एक बड़े और वयस्त शहर का प्रतीक होता है जहाँ जीवन तेजी से चलता है और यहाँ शिक्षा और रोजगार के अवसर ज्यादा होते हैं परन्तु यहाँ की भीड़भाड़, व्यस्त जीवन प्रदूषण की समस्याएं ज्यादा होती हैं।

गाँव और महानगर दोनों की ही अपनी अनूठी खूबियां और समस्याएं होती हैं । यह व्यक्तिगत पसन्द और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है कि कौन सा आवास उनके लिए उपयुक्त है ।

मेरा बसेरा गाँव है और यह स्थान सच्चे सौंदर्य और आत्मा की शांति का प्रतीक है । यहाँ के हर कोने में प्राकृतिक सौंदर्य है और हर सुबह मैं पक्षियों के गान के साथ जागता हूँ । गाँव की हर बुंदेली धरती से मेरा गहरा जुड़ाव है और इसके साथ ही मैं यहाँ के सजीव जीवन की सरलता को भी महसूस करता हूँ ।

यहाँ के लोग अत्यधिक उद्यमिता और सामाजिकता के प्रतीक हैं । हर साल कई त्यौहार और मेले यहाँ के महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, जो लोगों को एक साथ आने और मिलजुलकर आनन्द उठाने का मौका देते हैं । यहाँ के खेतों में हरियाली का आनन्द लेने का अद्भुत अवसर मिलता है और गाँव के आसपास के आकर्षण हमें आकर्षित करते हैं ।

इसके अलावा गाँव की शांति और स्वच्छता भी अद्वितीय है । यहाँ का आपसी सहयोग और सद्गुणों का आदान प्रदान दूसरे स्थानों के सान्निध्य से हटकर है । मेरे बसेरे का यह गाँव न केवल एक स्थान है बल्कि एक आत्मा की गहराइयों में बसे हुए रूप में हमें महसूस होता है ।

गाँवों का प्राकृतिक सौन्दर्य, सामाजिक संगठन और सुशांत माहौल ने मेरे बसेरे को अद्वितीय बना दिया है और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरा गाँव होने पर मेरे लिए गर्व का विषय है ।

कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन दिनांक 14.09.2023 से दिनांक 29.09.2023 तक

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, (राजभाषा विभाग) के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13.06.2023 के अनुपालन में दिनांक 14 एवं 15.09.2023 को पुणे में आयोजित तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में सहभागिता एवं दिनांक 14.09.2023 को कार्यालय में हिंदी दिवस समारोह के आयोजन के साथ हिंदी पखवाड़ा का शुभारम्भ किया गया । हिंदी दिवस कार्यक्रम में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया एवं उत्साह प्रदर्शित किया । माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्ज्वलन एवं सरस्वती वन्दना के साथ कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ । श्री नितिन गोयल, उप विस्फोटक नियंत्रक द्वारा माननीय

गृह मंत्री जी के सन्देश को पढ़ा गया । डा. डी.एल.काम्बले, विस्फोटक नियंत्रक ने अध्यक्षीय उदबोधन दिया एवं सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने का संकल्प लिया।

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पोस्टर, वाद-विवाद, अन्ताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यालयाध्यक्ष महोदय के दिशानिदेश में इस वर्ष हिंदी निबन्ध प्रतियोगिता को अन्तरकार्यालयीन स्तर पर आयोजित किया गया। उक्त प्रतियोगिता में पेसो, आगरा के कर्मचारियों के अतिरिक्त मध्यांचल के अधीनस्थ उपांचल प्रयागराज एवं देहरादून कार्यालयों तथा केन्द्रालय परिसर, आगरा स्थित अन्य सभी कार्यालयों को भी शामिल किया गया।

"बसेरा हमारा - गाँव या महानगर" विषय पर आयोजित अन्तरकार्यालयीन निबन्ध प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी भावनाओं को सुन्दर तरीके से लेखनीबद्ध किया । पोस्टर प्रतियोगिता में विकल्प के तौर पर तीन विभिन्न विषय **"पर्यावरण संरक्षण" / "भारत के गाँव - जनजीवन एवं परिवेश" / "विकसित या प्रदूषण से सराबोर शहरी जीवन"** निर्धारित किए गए एवं प्रतिभागियों द्वारा चित्रों के माध्यम से इन विषयों को अभिव्यक्त किया गया । **"अधिक एवं बेहतर आउटपुट पाने के लिए "वर्क फ्रॉम होम" एक अच्छा विकल्प है"** विषय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ।

दिनांक 27.09.2023 को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया । इस अवसर पर आगरा कॉलेज, आगरा की पूर्व विभागाध्यक्ष (संस्कृत) एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कवयित्री डा. शशि तिवारी, मुख्य अतिथि तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रालय आगरा के सहायक अभियन्ता श्री अमर चन्द मीना, विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए । मुख्य अतिथि महोदया द्वारा सभी विजेता प्रतिभागियों को अपने कर-कमलों से पुरस्कार प्रदान किया गया ।

कार्यालयाध्यक्ष महोदय ने सभी विजेता प्रतिभागियों को बधाई दी एवं सहभागिता करने वाले अन्य सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि परिणाम की चिंता किए बिना ही किसी भी कार्य में पूर्ण लगन एवं निष्ठा के साथ सम्मिलित होना ही कामयाबी की दिशा में प्रथम कदम है, अत: इस प्रयास के लिए सभी प्रतिभागी बधाई के पात्र हैं । राजभाषा अधिकारी श्री अशोक कुमार, उप-विस्फोटक नियंत्रक के द्वारा दिए गए धन्यवाद ज्ञापन के साथ हिंदी पखवाड़ा का समापन हुआ ।

हिंदी पखवाड़ा 2023 के अवसर पर आयोजित अन्तरकार्यालयीन निबन्ध प्रतियोगिता

विषय : ''बसेरा आपका - गाँव या महानगर'' - तृतीय पुरस्कृत निबन्ध

प्रमोद कुमार शर्मा
उच्च श्रेणी लिपिक, आगरा

भारत कृषि प्रधान देश है तथा उसकी आत्मा गाँवों में बसती है । भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी अभी भी गाँवों में रहती है । लेकिन धीरे धीरे गाँव अब खाली हो रहे हैं । उच्च शिक्षा की ललक, रोजगार की चाहत एवं स्वास्थ सम्बन्धी कारणों से गाँवों से शहरों की ओर पलायन जारी है ।

गाँवों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था न होने एवं समुचित विकास नहीं होने के कारण बच्चों को शिक्षा के लिए शहर जाना पड़ता है और फिर बच्चे अपनी शिक्षा के अनुरूप ही शहर में अपना भावी जीवन आरम्भ कर देते हैं । माता पिता को भी बच्चों की खुशियों की खातिर अपने पैतृक निवास को छोड़कर शहर में रचना बसना पड़ता है ।

हमारे पूर्वज गाँव में रहते थे और कुछ लोग आज भी रह रहे हैं । मैंने गाँव को बहुत नज़दीक से देखा है । बचपन में जब गर्मियों के स्कूल की छुट्टी होती थी तब प्रतिवर्ष लगभग एक माह गाँव में ही व्यतीत होता था । खेत-खलिहान, बाग-बगीचों की शुद्ध हवा, कुँए से पानी खींचकर नहाना या गाँव के पास बहते हुए बम्बे में डुबकी लगाकर नहाने में इतना आनंद आता था जो कि शहर में संभव नहीं है । घर की चक्की में आटे की रोटी, मठे एवं गुड़ के साथ खाने का स्वाद, आज के फाइव स्टार होटल के स्वाद को फीका कर देता था ।

पीपल की छाँव में चौपाल, गाय एवं बैलों के गले में खनकती घंटियां, गाँव के घर के आंगन, बागों में जामुन व आम के पेड़ो की छाँव, शुद्ध दूध-दही को मथकर निकली लोनी, आंगन में चारपाई पर दरी बिछाकर सोना, खुले आकाश को निहारते हर तारे गिनना, भोर होते ही पक्षियों की चह-चहाहट सुनना गाँव में ही सम्भव है ।

गाँव के लोग काफी मिलनसार होते हैं । एक दूसरे का सम्मान एवं अपनत्व की भावना गाँवों में बहुतायत देखने का मिलती है । गाँव में जब किसी लड़के या लड़की की शादी होती थी तो ऐसा लगता था कि पूरे गाँव में शादी है । बरात के स्वागत के लिए हर घर कुछ न कुछ सहयोग अवश्य देता था । खुले मैदान में हर घर से लाई गई चारपाई एवं उस पर बिछी हुई नई दरी, एक अलग ही अपनत्व की भावना जगाती थी । गाँव के लोगों में दिखावा नहीं होता है जबकि शहर की फ्लैट संस्कृति में पड़ोसी-पड़ोसी को नहीं पहचानता एवं एक दूसरे में आपसी प्रतिस्पर्धा है ।

पहले गाँवों को बहुत पिछड़ा माना जाता था लेकिन वर्तमान में सरकारों के प्रयास से गाँवों में भी सभी सुविधाएँ जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पीटल, बैंक आदि उपलब्ध कराई जा रही हैं । शहरों की तरह गाँव भी स्मार्ट बनते जा रहे हैं ।

शहर की हलचल से दूर गाँव में ही मन को शांति मिलती है । हमारे बुजुर्ग कहते थे कि घर तो अपना गाँव में ही है, शहर में तो बस मकान है । गुजरात के एक छोटे से गाँव की लड़की, अमेरिका में लाखों की नौकरी छोड़कर गाँव में वापिस आई तथा गाँव के विकास के लिए सरपंच का चुनाव लड़ा तथा जीत हासिल की । उसने एक हाई-प्रोफाइल लाइफ स्टाइल छोड़कर गाँव को चुना । हमें वास्तविक खुशी कहाँ मिलती है, ये देखना चाहिए ।

गाँव के शांत एवं निर्मल परिवेश से मन को शांति एवं सुकून मिलता है । गाँव की शुद्ध हवा-पानी, अपने खेत-बगीचे की सब्जियां-फल, खुले आंगन चबूतरे, चौपालें, पक्षियों की चहचहाहट, बागों में कोयल की कूक, संयुक्त परिवार - यह सब गाँवों में ही सम्भव है । इसलिए मैं, महानगर की अपेक्षा गाँव में ही रहना पसन्द करुँगा ।

मध्यांचल आगरा एवं अधीनस्थ उपांचल कार्यालय प्रयागराज एवं देहरादून में आयोजित विविध गतिविधियों का सचित्र विवरण

दिनांक 07.07.2023 को डा० जी.के.पाण्डेय, उप.मु.वि.नि. देहरादून ने ''सेफ्टी'' विषय पर मै० एचपीसीएल बॉटलिंग प्लान्ट, सितारगंज, उधमसिंह नगर के अधिकारियों एवं टेक्नीशियन्स को व्याख्यान दिया ।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर कार्यालय में बैनर व पोस्टर लगाए गए एवं दिनांक 30.10.2023 को कार्यालयाध्यक्ष श्री वी.के.मिश्रा, संमुविनि, आगरा द्वारा पेसो, आगरा के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई ।

राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर दिनांक 31.10.2023 को कार्यालयाध्यक्ष श्री वी.के. मिश्रा, संमुविनि, आगरा द्वारा पेसो, आगरा के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई ।

दिनांक 31.10.2023 को प्रयागराज कार्यालय में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शपथ ली गई ।

दिनांक 26.11.2023 को पेसो, प्रयागराज में आयोजित "संविधान दिवस" के अवसर पर सभी कर्मियों द्वारा संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली गई ।

पेसो, आगरा में दिनांक 08.03.2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया

पेसो, प्रयागराज में राजभाषा हिंदी की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया

दिनांक 08.03.2024 को प्रयागराज कार्यालय में आयोजित "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस" के अवसर पर कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा डा.(श्रीमती) आर.आर.गुप्ता, उप.मु.वि.नि. को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया तथा
डा.(श्रीमती) आर.आर.गुप्ता, उप.मु.वि.नि. द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया ।

हिंदी पखवाड़ा 2023 के अवसर पर आयोजित अन्तरकार्यालयीन निबन्ध प्रतियोगिता

विषय : ''बसेरा आपका - गाँव या महानगर'' - सांत्वना पुरस्कार प्राप्त निबन्ध

डा० सुरेन्द्र प्रताप यादव,
उप विस्फोटक नियंत्रक, देहरादून

"जहां बरगद का पेड़ है, सरसों का ढेर है,
गाय, भैंस, बकरी और जहां भेड़ है,
दुखिया की शादी का सारा गांव
एक परिवार बन जाते हैं।

चलो हम तुम्हें अपना गाँव दिखलाते हैं।"

भारत गाँव का देश है। हमारे देश की आधी से अधिक आबादी अभी भी गाँव में निवास करती है। गाँव का जीवन शहरी जीवन से बहुत अलग होता है। गाँव का जीवन बहुत सादा और सरल होता है। यहां के वातावरण में वास्तव में आनंद की अनुभूति होती है। गाँव में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के दर्शन होते है। यहां के लोगों में आपसी सद्भाव एवं सामाजिक घनिष्ठता पायी जाती है। हमारे गाँवों की कृषि ही भारत की आर्थिक व्यवस्था का आधार है। गाँव में मनुष्य के जीवन के अनुकूल प्राकृतिक वातावरण आज भी सुरक्षित है।

मेरे गाँव का प्रातः काल का दृश्य बहुत ही मनोरम होता है। यहां के लोगों की सुबह पक्षियों की चहचहाट एवं मुर्गे की आवाज से होती है। सुबह-सुबह खेतों की हरियाली पर पड़ी ओस की बूंद पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो मानो मोती सी प्रतीत होती है। मेरे गाँव के लोग पानी पीने के लिए कुएँ तथा हैंड-पंप के पानी का प्रयोग करते हैं।

मेरे गाँव में सिंचाई के लिए नहरें, नलकूप एवं तालाब हैं जो उसकी सुंदरता को और शोभनीय बनाते हैं । मेरे गाँव में आम, नीम, बरगद, बांस, जामुन आदि के बड़े-बड़े वृक्ष है जो कि गाँव की हरियाली बढ़ाने के साथ-साथ वहां के लोगों को फल, सूखी लकड़ियाँ व छाया प्रदान करते हैं।

मेरे गाँव में जैविक खेती द्वारा मुख्यतः गेहूं, चावल, अरहर, मटर, मक्का, बाजरा, सरसों आदि का उत्पादन होता है। यहां के लोग मुख्यतः अपने खेतों की हरी-ताजी सब्जियों को खाते हैं। मेरे गाँव के लोग कृषि के साथ-साथ पशुपालन का भी कार्य करते हैं जिससे उनको शुद्ध एवं ताजा दूध उपलब्ध होता रहता है।

मेरे गाँव में आम जनजीवन की आवश्यकता की सभी सुविधाएं है, अस्पताल, विद्यालय, बाजार आदि सभी उपलब्ध हैं। मेरा गाँव भी अब प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है एवं आधुनिक सुख सुविधाएं लोगों तक पहुँच रहीं हैं। उद्योग - धंधे कारखाने गाँव तक पहुंच रहे हैं जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है।

सभी शांति, सद्भावना एवं आपसी प्रेम व सामंजस्य से रहते हैं। पशु, प्रकृति एवं पर्यावरण की अहमियत को समझने वाले लोग एक दूसरे की पीड़ा को आसानी से समझ जाते हैं।

मेरे कुछ मित्रों का बसेरा विभिन्न बड़े - बड़े महानगरों में है। परन्तु मैंने सुना है कि शहरों का जीवन भाग दौड़ से भरा तथा जटिलताओं से युक्त है। देश के शहर कितने ही विकसित क्यों ना हो जाए परंतु गाँवों का अस्तित्व कोई समाप्त नहीं कर सकता है। मैं गाँव में रहकर बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि "मेरा बसेरा ही मेरा गाँव है।"

''कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम'' सप्ताह का आयोजन

कार्यालय प्रमुख श्री वी.के.मिश्रा, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की अध्यक्षता में दिनांक 04.12.2023 से 08.12.2023 तक पेसो, आगरा में ''कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम'' सप्ताह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित बैठक में कार्यालय के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को 'विशाखा गाइडलाइंस' से जुड़ी मुख्य बातों के बारे में अवगत कराया गया व सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशित किया गया। कार्यालय में ''कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आंतरिक शिकायत समिति भी गठित है।

दिनांक 08.12.2023 को ''कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम'' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला में अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित डा० सुनीता रानी घोष, प्रोफेसर, आगरा कॉलेज, आगरा द्वारा विशाखा समिति, उसके गाइड लाइन्स, ''कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम'' हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम एवं समय समय पर जारी आदेशों के बारे में तथा अनुपालन न होने की स्थिति में होने वाली कार्रवाई संबंधी प्रावधानों के बारे में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराया गया । साथ ही डा० सुनीता रानी घोष जी द्वारा कार्यालय की तीनों महिला कार्मिकों से भी बातचीत कर कार्यस्थल पर उनको उपलब्ध कराए गए वातातरण एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में चर्चा की गई ।

मध्यांचल आगरा एवं अधीनस्थ उपांचल कार्यालयों में आयोजित राजभाषायी तथा अन्य गतिविधियाँ

कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा

<u>राजभाषायी गतिविधियाँ</u>

दिनांक 17.04.2023 डा. महेश कुमार सामोता, विस्फोटक नियंत्रक एवं श्रीमती श्रावणी गांगुली, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ने कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (प्रथम), आगरा में नराकास की रिपोर्ट मूल्यांकन समिति की बैठक में भाग लेकर रिपोर्टों का मूल्यांकन किया ।

दिनांक 20.04.2023 नराकास की 81वीं बैठक में कार्यालय प्रमुख श्री विनोद कुमार मिश्रा, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, श्री अशोक कुमार, उप विस्फोटक नियंत्रक (राजभाषा अधिकारी), श्रीमती श्रावणी गांगुली, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक एवं श्री प्रमोद कुमार शर्मा, उच्च श्रेणी लिपिक ने भाग लिया ।

दिनांक 20.04.2023 वित्तीय वर्ष 2022 - 2023 में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग एवं कार्यान्वयन में कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मध्यांचल, आगरा को आगरा नगर स्थित केन्द्र सरकार के समस्त कार्यालयों में प्रथम घोषित किया गया एवं शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर पुरस्कृत किया गया ।
विगत छमाही (अक्टूबर 2022 - मार्च 2023) में शत-प्रतिशत पत्राचार हिंदी में करने के लिए पेसो, आगरा को प्रमाणपत्र देकर भी सम्मानित किया गया ।
प्रधान आयकर आयुक्त (प्रथम), आगरा श्री सैयद नैयर अली नज़मी जी के कर कमलों से श्री विनोद कुमार मिश्रा, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, श्री अशोक कुमार, उप विस्फोटक नियंत्रक (राजभाषा अधिकारी) एवं श्रीमती श्रावणी गांगुली, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ने पुरस्कार स्वरूप शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया ।

दिनांक 21.04.2023 श्री विनोद कुमार मिश्रा, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा कार्यालय उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, प्रयागराज के राजभाषायी एवं प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण किया गया ।

दिनांक 19.07.2023 श्री प्रमोद कुमार शर्मा, उच्च श्रेणी लिपिक एवं श्री प्रवेश कुमार मीणा, निम्न श्रेणी लिपिक ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में आयोजित "राजभाषा तिमाही, छमाही तथा वार्षिक रिपोर्टों को भरने तथा कंठस्थ 2.0" से सम्बन्धित विषयों पर कार्यशाला में भाग लिया ।

दिनांक 14 व 15.09.2023 श्रीमती श्रावणी गांगुली, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ने पुणे (महाराष्ट्र) में आयोजित हिंदी दिवस समारोह एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया ।

दिनांक 27.09.2023 श्री वी.के.मिश्रा, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक एवं श्रीमती श्रावणी गांगुली, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 82वीं बैठक में भाग लिया ।

<u>त्रैमासिक बैठकें</u> -

दिनांक 10.05.2023 प्रथम त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया ।
दिनांक 26.07.2023 द्वितीय त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया ।
दिनांक 19.10.2023 तृतीय त्रैमासिक सभा का आयोजन किया गया ।
दिनांक 17.01.2024 चतुर्थ त्रैमासिक सभा का आयोजन किया गया ।

<u>त्रैमासिक कार्यशालाएं</u>

दिनांक 21.06.2023 'वैश्विक स्तर पर हिंदी की दशा एवं दिशा' विषय पर प्रथम कार्यशाला
दिनांक 29.09.2023 'विस्फोटक नियम 2008' विषय पर द्वितीय कार्यशाला
दिनांक 21.12.2023 - 'ई-ऑफिस एवं कार्यालयीन कार्य' विषय पर तृतीय कार्यशाला ।
दिनांक 17.01.2024 - "कार्यालयीन कार्य एवं हिंदी" विषय पर चतुर्थ कार्यशाला ।

<u>अन्य विविध गतिविधियां</u>

दिनांक 17.05.2023 श्री विनोद कुमार मिश्रा, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ने मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर कार्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन बैठक में भाग लिया ।

दिनांक 22.05.2023 श्री विनोद कुमार मिश्रा, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ने एक शिकायती प्रकरण में डीपीआईआईटी के साथ ऑनलाइन बैठक में भाग लिया ।

दिनांक 23.05.2023 श्री विनोद कुमार मिश्रा, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ने वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में सभी संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रकों के साथ दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी के द्वारा आहूत पेसो की समीक्षा बैठक में भाग लिया ।

दिनांक 24.05.2023 शीर्षस्थ प्रशासनिक बैठक का आयोजन किया जिसमें कार्यालयाध्यक्ष श्री विनोद कुमार मिश्रा, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा ने दिनांक 23.05.2023 को दिल्ली में आहूत बैठक में हुई चर्चा के बारे में जानकारी प्रदान की ।

दिनांक 24.05.2023 कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, उत्तरी अंचल, फरीदाबाद द्वारा ''कन्डक्ट नियम'' एवं ''सीसीएस नियम'' पर आयोजित ऑनलाइन बैठक में आगरा कार्यालय के अधिकारियों ने भाग लिया ।

दिनांक 21.06.2023 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यालय में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया ।

दिनांक 24 व 25.06.2023 श्री विनोद कुमार मिश्रा, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक एवं श्री अशोक कुमार, उप विस्फोटक नियंत्रक ने कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर में आयोजित चिंतन शिविर में भाग लिया ।

दिनांक 15.08.2023 स्वतन्त्रता दिवस मनाया गया जिसमें कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया ।

दिनांक 31.08.2023 श्री अशोक कुमार, उप विस्फोटक नियंत्रक एवं श्री राकेश कुमार वर्मा, आशुलिपिक ग्रेड - ।। ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विषय पर राष्ट्रीय पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा अकादमी और परीक्षण केन्द्र, नागपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।

दिनांक 31.08.2023 राष्ट्रीय पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा अकादमी और परीक्षण केन्द्र, नागपुर द्वारा ''सीसीएस कन्डक्ट नियम'' विषय पर आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में मध्यांचल के अधिकारियों ने भाग लिया ।

दिनांक 02.09.2023 डीपीआईआईटी द्वारा आयोजित ऑनलाइन चिंतन शिविर में मध्यांचल के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया ।

दिनांक 27.09.2023 श्री विनोद कुमार मिश्रा, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा उपांचल कार्यालयों के साथ ऑनलाइन प्रशासनिक बैठक की गई जिसमें मध्यांचल के सभी अधिकारियों ने भाग लिया ।

दिनांक 09.10.2023 श्री विनोद कुमार मिश्रा, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ने डीपीआईआईटी द्वारा दिल्ली में आयोजित बैठक में भाग लिया ।

दिनांक 11.10.2023 डीपीआईआईटी, नई दिल्ली द्वारा आयोजित ऑनलाईन ई-ऑफिस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मध्यांचल के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया ।

दिनांक 27.10.2023 श्री विनोद कुमार मिश्रा, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक एवं श्री नितिन गोयल, उप विस्फोटक नियंत्रक माननीय सिविल जज, जूनियर डिवीजन, मेरठ के न्यायालय में उपस्थित हुए ।

दिनांक 31.10.2023 राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया गया एवं सभी अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा शपथ ली गई।

दिनांक 03.11.2023 राष्ट्रीय पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा अकादमी और परीक्षण केन्द्र, नागपुर द्वारा ''सतर्कता जागरूकता एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई'' विषय पर आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में मध्यांचल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया ।

दिनांक 06.11.2023 मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर कार्यालय द्वारा ''स्वच्छता एवं हाइजीन'' विषय पर आयोजित ऑनलाइन कार्यशाला में मध्यांचल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया ।

दिनांक 22.11.2023 मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर कार्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाईन ई-ऑफिस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया ।

दिनांक 04 - 08.12.2023 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम' सप्ताह का आयोजन किया गया जिसमें कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया ।

दिनांक 15.12.2023 मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर कार्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाईन ई-ऑफिस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया ।

दिनांक 26.01.2024 **गणतंत्र दिवस मनाया गया जिसमें कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया ।**

राजभाषायी गतिविधियां

दिनांक 19.06.2023 संसदीय राजभाषा समिति द्वारा प्रयागराज कार्यालय के राजभाषायी कार्यों का निरीक्षण किया गया ।

दिनांक 25.07.2023 डा.(श्रीमती) आर.आर.गुप्ता, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक एवं श्री धर्मवीर सिंह, उप विस्फोटक नियंत्रक ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, प्रयागराज की छमाही बैठक में भाग लिया ।

दिनांक 14 व 15.09.2023 श्री धर्मवीर सिंह, उप विस्फोटक नियंत्रक ने पुणे (महाराष्ट्र) में आयोजित हिंदी दिवस समारोह एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया ।

दिनांक 26.09.2023 श्री आर.के.दुबे, आशुलिपिक एवं श्री सतबीर, उच्च श्रेणी लिपिक, ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, प्रयागराज की छमाही बैठक में भाग लिया ।

दिनांक 22.12.2023 श्री पी.कुमार, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर द्वारा कार्यालय का राजभाषायी निरीक्षण किया गया ।

त्रैमासिक बैठकें -

दिनांक 18.04.2023 प्रथम त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया ।

दिनांक 14.07.2023 द्वितीय त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया ।

दिनांक 26.12.2023 तृतीय त्रैमासिक सभा का आयोजन किया गया ।

दिनांक 19.03.2024 चतुर्थ त्रैमासिक सभा का आयोजन किया गया ।

त्रैमासिक कार्यशालाएं -

दिनांक 30.06.2023 "वित्तीय वर्ष 2023 - 2024 में राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वयन' विषय पर प्रथम कार्यशाला ।

दिनांक 20.09.2023 "राजभाषा नियम एवं अधिनियम" विषय पर द्वितीय त्रैमासिक कार्यशाला ।

दिनांक 28.12.2023 "संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण रिपोर्ट पर चर्चा" विषय पर तृतीय कार्यशाला ।

दिनांक 20.03.2024 चतुर्थ त्रैमासिक कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

हिंदी पखवाड़ा का आयोजन : दिनांक 14.09.2023 से दिनांक 29.09.2023

दिनांक 14.09.2023 को हिंदी पखवाड़े के शुभारम्भ के अवसर पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा हिंदी दिवस पर दिए गए संदेश को पढ़ा गया । पखवाड़े के दौरान हिंदी पोस्टर, अनुवाद, हिंदी निबन्ध एवं हिंदी टंकण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें कार्यालय के समस्त कर्मचारियों द्वारा बढ़चढ़ कर भाग लिया गया ।

पखवाड़े के दौरान दिनांक 20.09.2023 को द्वितीय हिंदी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया जिसमें अतिथि वक्ता के तौर पर श्री हरी कृष्ण तिवारी, सहायक निदेशक एवं सचिव, नराकास, प्रयागराज उपस्थित हुए । कार्यालय प्रमुख डा. (श्रीमती) आर.आर.गुप्ता, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा कार्यालय के राजभाषायी कार्यों की समीक्षा की गई । हिंदी अधिकारी श्री डी.वी.सिंह, उप विस्फोटक नियंत्रक ने कार्यालय में हो रहे राजभाषीय कार्यों के बारे में विस्तार से बताया ।

कार्यालय प्रमुख डा.(श्रीमती) आर.आर.गुप्ता, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के परिणाम की घोषणा एवं श्री जरीफुद्दीन अहमद, विस्फोटक नियंत्रक द्वारा दिए गए धन्यवाद ज्ञापन के साथ दिनांक 29.09.2023 को हिंदी पखवाड़ा का समापन हुआ ।

<u>अन्य विविध **गतिविधियाँ** -</u>

दिनांक 20.04.2023 डा.(श्रीमती)आर.आर.गुप्ता,उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की अध्यक्षता में प्रशासनिक बैठक का आयोजन किया गया ।

दिनांक 12 एवं 16.05.2023 डा.(श्रीमती) आर.आर.गुप्ता, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, की अध्यक्षता में में प्रशासनिक बैठक का आयोजन किया गया ।

दिनांक 15.08.2023 स्वतन्त्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया जिसमें कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रतिभागिता की ।

दिनांक 26.10.2023 श्री कमलेश कुमार, अवर सचिव,डीपीआईआईटी, नई दिल्ली द्वारा स्वच्छता ही सेवा मिशन के तहत कार्यालय का निरीक्षण किया गया ।

दिनांक 04 - 08.12.2023 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम' सप्ताह का आयोजन किया गया जिसमें कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया ।

दिनांक 26.01.2024 **गणतंत्र दिवस मनाया गया जिसमें कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया ।**

कार्यालय उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, देहरादून

<u>राजभाषायी गतिविधियां</u>

दिनांक 28.06.2023 नराकास, देहरादून द्वारा आयोजित छमाही बैठक में कार्यालय के अधिकारियों ने भाग लिया ।

दिनांक 14 व 15.09.2023 डा. एस.पी.यादव, उप विस्फोटक नियंत्रक ने पुणे (महाराष्ट्र) में आयोजित हिंदी दिवस समारोह एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया ।

दिनांक 14 से 29.09.2023 हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़ा समारोह का आयोजन किया गया ।

दिनांक 22.12.2023 श्री पी.कुमार, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर द्वारा कार्यालय के राजभाषायी कार्यों का निरीक्षण किया गया।

विविध **गतिविधियाँ** -

दिनांक 21.06.2023 कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया जिसमें कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया ।

दिनांक 24 व 25.06.2023 डा.जी.के.पाण्डेय, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ने कार्यालय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर में आयोजित चिंतन शिविर में भाग लिया ।

दिनांक 07.07.2023 डा.जी.के.पाण्डेय, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा मै० हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, के सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर स्थित बॉटलिंग प्लान्ट के अधिकारियों एवं तकनीकी कर्मचारियों को सम्बोधित किया गया ।

दिनांक 15.08.2023 स्वतन्त्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया जिसमें कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रतिभागिता की ।

दिनांक 02.09.2023 डीपीआईआईटी द्वारा आयोजित ऑनलाइन चिंतन शिविर में मध्यांचल के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया ।

दिनांक 14.09.2023 **"Awarness building about Public Intrest Disclosures and Protection of Informers (PIDPI) Resolution" पर कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें सभी स्टेकहोल्डर्स, आयल कंपनियों, विस्फोटक अनुज्ञप्तिधारियों व उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इस अवसर पर श्री प्रभात कुमार वर्मा, महाप्रबन्धक, आईओसीएल एवं विजिलेंस अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित हुए ।**

दिनांक 27.09.2023 श्रीमान संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा द्वारा वेबक्स के माध्यम से आयोजित बैठक में कार्यालय के सभी अधिकारीयों ने भाग लिया ।

दिनांक 30.09.2023 श्री राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, डीपीआईआईटी, नई दिल्ली द्वारा स्वच्छता ही सेवा मिशन के तहत कार्यालय का निरीक्षण किया गया ।

दिनांक 30.10.2023 सर्तकता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया गया । कार्यालय के मुख्य द्वार पर पोस्टर लगाया गया एवं कार्यालय सभी अधिकारीयों एवं कर्मचारियों द्वारा शपथ ग्रहण की गई।

दिनांक 31.10.2023 राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया जिसमें सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा शपथ ग्रहण की गई।

दिनांक 06.10.2023 **श्रीमान संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, फरीदाबाद द्वारा वेबक्स के माध्यम से** "Ethics and governance" **विषय पर आयोजित प्रशिक्षण में कार्यालय के सभी अधिकारीयों ने भाग लिया ।**

दिनांक 06.10.2023 **श्रीमान मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर द्वारा वेबक्स के माध्यम से** "E-office" **विषय पर आयोजित प्रशिक्षण में कार्यालय के सभी अधिकारीयों ने भाग लिया ।**

दिनांक 03.11.2023 **NAFPES,गौंडखेरी, नागपुर द्वारा वेबेक्स के माध्यम से** "Vigilance awareness and disciplinary action" **के विषय पर आयोजित प्रशिक्षण में कार्यालय के सभी अधिकारीयों एवं कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया ।**

दिनांक 06.11.2023 **श्रीमान मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर द्वारा वेबक्स के माध्यम से** "swachhata and hygiene" **विषय पर आयोजित कार्यशाला में कार्यालय के सभी अधिकारीयों एवं कर्मचारियों द्वारा भाग लिया गया ।**

दिनांक 22.11.2023 **श्रीमान मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर द्वारा वेबक्स के माध्यम से** "e-office" **विषय पर आयोजित कार्यशाला में कार्यालय के सभी अधिकारीयों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया ।**

दिनांक 04.12.2023 **कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा में आयोजित** "E-office" **संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम में डा० एस.पी.यादव, उप विस्फोटक नियंत्रक एवं श्री किंगकोंग, निम्न श्रेणी लिपिक ने भाग लिया ।**

दिनांक 15.12.2023 श्रीमान मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर द्वारा वेबक्स के माध्यम से "e-office" **विषय पर आयोजित कार्यशाला में कार्यालय के सभी अधिकारीयों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया ।**

दिनांक 24 व 25.01.2024 **श्रीमान मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर द्वारा वेबक्स के माध्यम से कैपिसीटी बिल्डिंग प्रोग्राम "Introduction to Ex Electrical Apparatus installed in the hazardous areas" विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यालय के सभी अधिकारीयों ने भाग लिया ।**

दिनांक 26.01.2024 **गणतंत्र दिवस मनाया गया जिसमें कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया ।**

दिनांक 09.02.2024 **श्रीमान मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर द्वारा वेबक्स के माध्यम से "e-HRMS" विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यालय के सभी अधिकारियों ने भाग लिया ।**

पेसो, आगरा में हुई सेवानिवृत्तियां

दिनांक 31.08.2023 को श्री अनूप कुमार शर्मा, कार्यालय अधीक्षक, सेवानिवृत्त हुए

दिनांक 28.03.2024 को श्री प्रकाश चन्द, सहायक, सेवानिवृत्त हुए

मध्यांचल आगरा एवं अधीनस्थ उपांचल प्रयागराज एवं देहरादून कार्यालय में हुए स्थानांतरण

श्री अनिल कुमार शर्मा, कार्यालय अधीक्षक **आगरा का चेन्नई के लिए स्थानांतरण होने पर, वह दिनांक 28.04.2023 को आगरा** कार्यालय से कार्यमुक्त हुए ।

श्री धर्मेश कुमार, उच्च श्रेणी लिपिक आगरा का फरीदाबाद के लिए स्थानांतरण होने पर, वह दिनांक 28.04.2023 को आगरा कार्यालय से कार्यमुक्त हुए ।

श्री ए.जी.काम्बले, आशुलिपिक ग्रेड-1 एवं श्री एस.एम.नलोडे, उच्च श्रेणी लिपिक ने नागपुर कार्यालय से स्थानांतरित होकर दिनांक 08.05.2023 को आगरा कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया ।

श्री विजय पाल सिंह, कार्यालय अधीक्षक एवं श्री अजय कुमार, उच्च श्रेणी लिपिक ने फरीदाबाद कार्यालय से स्थानांतरित होकर दिनांक 09.05.2023 को आगरा कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया ।

श्री सतबीर सिंह, उच्च श्रेणी लिपिक ने फरीदाबाद कार्यालय से स्थानांतरित होकर दिनांक 15.05.2023 को प्रयागराज कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया ।

श्री नितिन गोयल, उप विस्फोटक नियंत्रक ने शिवाकाशी कार्यालय से स्थानांतरित होकर दिनांक 26.05.2023 को आगरा कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया ।

डा. महेश कुमार सामोता, विस्फोटक नियंत्रक, आगरा, जयपुर के लिए स्थानांतरित होने पर दिनांक 31.05.2023 को आगरा कार्यालय से कार्यमुक्त हुए ।

डा. बी.सिंह, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, देहरादून, नागपुर कार्यालय के लिए स्थानांतरित होने पर दिनांक 31.05.2023 को देहरादून कार्यालय से कार्यमुक्त हुए ।

डा० जी.के.पाण्डेय, उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ने जयपुर कार्यालय से स्थानांतरित होकर दिनांक 31.05.2023 को देहरादून कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया ।

श्री डी.वी.सिंह, उप विस्फोटक नियंत्रक ने देहरादून कार्यालय से स्थानांतरित होकर दिनांक 06.06.2023 को प्रयागराज कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया ।

श्री अरुण एस० क्षीरसागर, विस्फोटक नियंत्रक ने मुम्बई कार्यालय से स्थानांतरित होकर दिनांक 16.06.2023 को देहरादून कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया ।

डा० डी.एल.काम्बले, विस्फोटक नियंत्रक ने वेल्लौर कार्यालय से स्थानांतरित होकर दिनांक 19.06.2023 को आगरा कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया ।